



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ,
जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in/>

AISHE CODE - C-9695

6.3.1 The institution has effective welfare measures and Performance Appraisal System for teaching and non-teaching staff

Response :

Sl. No.	Contents	Page (From....to....)
1	Rules and Regulation regarding employees welfare	02-37
2	Photographs of Staff Room, Gym, and Water Purifier	38-44
3	List of Teacher's participation in National /International Seminars /Workshops /FDPs/Orientation /Refresher course	45-48
4	Relevant Documents of Teacher's participation in National/International Seminars/Workshops/FDPs/ Orientation/ Refresher course	49-67
5	Rules and Regulation regarding APAR & PBAS for employees	68-77
6	Scan copy of teacher's APAR and PBAS form (sample)	78-116


IQAC Incharge
IQAC Co-ordinator


PRINCIPAL
Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)
Principal

 **RAJ LAXMI**
Publications

बी. के. सिन्हा
ए. एक्का

छत्तीसगढ़
ऑफिस मैनुअल
हैण्डबुक



2022

पंचम संस्करण

राज लॉ पब्लिकेशन, रायपुर

अन्य प्रकार के भत्ते

(Other Allowances)

1. गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance) —

(1) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता—राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं, जो राज्य शासन के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। निम्नानुसार शासकीय सेवक इसे प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं—

(क) ऐसे शासकीय सेवक जो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान में रहते हैं।

(ख) ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवाएं स्थाई या अस्थायी हो, गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु अपात्र—निम्नानुसार शासकीय सेवक गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे—

(क) वे, जिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/परिश्रमिक प्राप्त होता है।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास आवंटित हो परन्तु जिनके द्वारा उसे लेने से मनाकर दिया गया हो।

(ग) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा हो।

(घ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(ङ) ऐसे कर्मचारी, जहाँ उन्हें निःशुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होता है।

(च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(3) आदेश दिनांक 15-6-1987—1. State Government vide Finance Department Memo No. F.B.11/1/NI/2/87/IV, dated the 16th April, 1987 have issued orders for grant of House Rent Allowance in respect of Government servants who reside in town having a population of 1,00,000 or more less than 50,000.

2. Government upon the decision taken by the State Government relating to the revision of Pay Scales, the State Government are now further pleased to grant House Rent Allowance at revised rates to Government employees residing in towns or cities having population of 50,000 and above. Description of localities where this allowance is payable and the rates at which the allowance will be admissible are given in Annexure-I. The allowance will be paid to the employees under the Rule making control of the State Government, subject to

326 | छत्तीसगढ़ ऑफिस मैनुअल हैण्डबुक

नियमानुसार 10,000 से अधिक संख्या वाले नगरपालिका नगरों की परीधि के 2 किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह परियोजना भत्ता ऐसे परियोजनाओं के लिए देय नहीं है जिनकी कुल लागत पचास लाख से कम है।

7. रोकड़िया को नगद भत्ता—

वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक ए-1/87/नि-2/चार, दिनांक 28-5-1987 के अनुसार औसत मासिक वितरण नगद राशि पर भत्ते की दर निम्नानुसार है—

औसत मासिक वितरित नगद राशि	भत्ते दर
रु. 10,000 तक	रु. 20 प्रतिमाह
रु. 10,001 से 25,000 तक	रु. 30 प्रतिमाह
रु. 25,001 से 50,000 तक	रु. 40 प्रतिमाह
रु. 50,001 से अधिक	रु. 50 प्रतिमाह

8. वर्दी एवं धुलाई भत्ता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13 फरवरी 2015 के ज्ञापन अनुसार आर्हता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भत्ता रु. 75.00 प्रतिमाह भुगतान करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। यह भत्ता उर्दी कर्मचारियों को देय होगा, जो नियमित रूप से वर्दी कार्यालय में पहन कर आते हैं।

(2) वर्दी सिलाई की दर—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 से संशोधित कर लागू किया—

क्रमांक	वर्दी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति नग)
1.	बटन अप कोट	रु. 250/-
2.	ट्राउजर	रु. 135/-
3.	गाँधी टोपी	रु. 40/-
4.	पायजामा	रु. 60/-
5.	बुशर्ट/हाफ कोट	रु. 100/-
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 750/-
7.	ब्लाउज/सलुखा	रु. 50/-
8.	पेटीकोट	रु. 30/-

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13-2-2015]

9. पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता—

दिनांक 27 मार्च 2012 से पटवारियों को मिलने वाले को स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि करते हुए उस रु. 250/- (दो सौ पचास रूपए) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 88/एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-3-2012]

ऋण एवं अग्रिम

(Loan and Advances)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन स्तर से पूर्व में दो प्रकार के अग्रिम शासकीय सेवक को दिए जाते थे, जिसमें जो ब्याज रहित अग्रिम होता है, उसे अग्रिम कहते हैं तथा जो ब्याज सहित होता था, उसे ऋण कहते थे। राज्य शासन द्वारा ब्याज सहित ऋण देना वर्ष 2004 से बन्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों को बाह्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना दिनांक 1-6-2004 से लागू की गई।

2. ब्याज रहित अग्रिम—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को निम्न मदों में ब्याज रहित अग्रिम दिया जाता है। पूर्व में अनाज अग्रिम भी इसी के अधीन दिया जाता था, जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है—

- (1) स्थानान्तरण पर अग्रिम,
- (2) स्थानान्तरण/दौरों पर अग्रिम,
- (3) त्यौहार अग्रिम,
- (4) गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम,
- (5) विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम,
- (6) चिकित्सा अग्रिम।

स्पष्टीकरण—राज्य शासन द्वारा अनाज अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ 1003491/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा अनाज अग्रिम को समाप्त कर दिया गया।

(1) **स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा अग्रिम—**यह अग्रिम किसी शासकीय सेवक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में नए गंतव्य पर जाने के लिए दिया जाता है। इस अग्रिम में एक माह का वेतन, शासकीय सेवक एवं उसके आश्रितों का नए गंतव्य पर पहुँचने का वास्तविक किराया तथा समान का परिवहन व्यय सम्मिलित होता है। वेतन अग्रिम को राशि वेतन से तीन समान किश्तों में तथा यात्रा अग्रिम का समायोजन एक मुश्त यात्रा देयक से किया जावेगा। यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

टिप्पणी—(1) आपसी स्थानान्तरणों में अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

(2) स्थानान्तर अग्रिम को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर दर्शाया जाना चाहिए।

(3) अवकाश काल में यदि स्थानान्तर आदेश हुए हो, तब भी शासकीय सेवक को यह अग्रिम देय होगा।

(4) किश्तों का निर्धारण पूर्ण रूप में किया जाना चाहिए।

(5) शासकीय सेवक, अस्थाई हो या स्थाई, उससे जमानत लेना वांछनीय नहीं होगा।
[नियम 268, छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-1]

(2) त्यौहार अग्रिम—राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर त्यौहार अग्रिम देने की योजना है, इसके अधीन 15 अगस्त/26 जनवरी, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा बंधन, ईद-उल-फित्तर, ईद-ऊल जुहा, जन्माष्टमी, क्रिसमस-डे आदि त्यौहारों पर शासकीय सेवकों को अग्रिम दिया जाता है। इसमें समस्त तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग तथा कार्यभारिता/आकास्मिता पर से वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होते हैं। इसके अधीन निम्न अन्य शर्तें होती हैं—

- (i) अग्रिम की राशि रु. 800/- से अधिक नहीं होगी।
- (ii) उस अग्रिम की वसूली वेतन से दस समान किशतों में की जावेगी।
- (iii) कलेण्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जावेगा, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो।
- (iv) यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत होगा।
[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 331/एफ-1003419/वि/नि/चार, दिनांक 19-10-2012]

(3) गृह नगर की यात्रा भत्ता—इस योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं—

- (i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होते हैं।
- (ii) दोनों ओर यात्रा पर होने वाले व्यय का 4/5 मात्र अग्रिम रूप में देय।
- (iii) जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक-पृथक यात्रा करना चाहते हैं वह अग्रिम पृथक-पृथक स्वीकृत किया जा सकता है।
- (iv) जहाँ अवकाश अवधि 90 दिन से अधिक है, वहाँ मात्र एक ओर का ही अग्रिम स्वीकृत किया जावेगा।
- (v) इस अग्रिम की वसूली एक मुश्त यात्रा देयक से की जावेगी।
- (vi) इस अग्रिम को स्वीकृत करने हेतु कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत है।
- (vii) अगर किसी अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अग्रिम लिया जा रहा है तब किसी स्थाई/शासकीय सेवक की जमानत आवश्यक होगी।

[वित्त विभाग क्र. 1342-सी.आर.-2654-आर-आर.एफ-72, दिनांक 27-11-1972]

(4) विदेश प्रशिक्षण में जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम—इस योजना के अधीन मुख्य बातें निम्नानुसार हैं—

- (i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होंगे।
- (ii) अग्रिम की राशि विदेश प्रशिक्षण की समयावधि के बराबर महीनों की संख्या के लिए अधिकारी के वेतन तक सीमित रहेगी।
- (iii) अग्रिम की वसूली हेतु किशतों की संख्या इस प्रकार होगी—
(क) तीन माह के विदेश प्रशिक्षण हेतु—तीन
(ख) तीन माह से अधिक, किन्तु बारह माह से अधिक नहीं हेतु—महीनों के प्रशिक्षण अनिवार्यतः।

- (iv) 12 माह से अधिक निर्देश प्रशिक्षण—बारह
 (v) एक माह के वेतन तक अग्रिम हेतु कार्यालय प्रमुख तथा इससे अधिक के लिए विभाग प्रमुख।

टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजनार्थ 22 दिन से अधिक को एक माह तथा 22 दिन से कम को गणना में नहीं लिया जावेगा। [नियम 269, वित्त संहिता भाग-एक]

3. शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/क्रय, वाहन, कम्प्यूटर अन्य घरेलू उपकरण का क्रय एवं उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना—

1. योजना का नाम—यह योजना “शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना” कहलायेगी।

2. उद्देश्य—इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय संस्था से आवासीय प्लॉट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता उपकरणों या बच्चों/स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है।

3. प्रारम्भ—यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारम्भ होगी।

4. विस्तार—(i) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगी—

- (अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी;
- (ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी;
- (स) आकस्मिकता निधि/कार्यभारिता स्थापना के अस्थायी सदस्य;
- (द) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी;
- (इ) राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी।

(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थायी सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी अवधिपूर्वकी पर सेवानिवृत्ति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, उन पर भी यह योजना लागू होगी।

5. ऋण का उद्देश्य—इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को व्यावसायिक संस्थाओं/वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा—

- (1) किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू-खण्ड क्रय अथवा भवन के क्रय/निर्माण एवं परिवर्तन हेतु;
- (2) नवीन/पुराने वाहन के क्रय हेतु;
- (3) कम्प्यूटर/टेलीविजन/रेफ्रिजरेटर क्रय हेतु;
- (4) राज्य शासन से पूर्व के लिए गए आवासीय प्लॉट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम की राशि के समय पूर्व भुगतान हेतु;
- (5) स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु;

4. स्व-वाहन सुविधा योजना—

शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को नवीन वाहन क्रय पर आवंटित करने की बजाय "स्व-वाहन सुविधा योजना" लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना अधिसूचना क्र. 327/नियम/वित्त/IV/2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा लागू हो गई है। यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई है कि शासकीय वाहनों की संख्या कम की जाये ताकि वाहनों पर हो रहे आवर्ती व्यय को कम किया जा सके।

योजना निम्नानुसार है—

(1) योजना—इस योजना का नाम "स्ववाहन/सुविधा योजना" होगा।

(2) यह योजना वैकल्पिक होगी।

(3) पात्रता—(1) छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ निम्न अधिकारी इस योजना से आवृत्त होंगे—

(i) वरिष्ठ वेतनमान अथवा उससे उच्च वेतनमान के अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा) के अधिकारी,

(ii) उप सचिव तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी, जिसमें उच्च न्यायालय व विधानसभा के अधिकारी भी शामिल हैं,

(iii) संयुक्त संचालक तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी,

(iv) अधीक्षण यंत्री तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी।

(2) यदि किसी अधिकारी द्वारा एक बार इस योजना का चयन किया जाता है तो पूरे सेवा काल में किसी भी पदस्थापना पर वे इस योजना की शर्तों व नियमों से बाध्य होंगे एवं इस योजना के नियमों के तहत शासन के किसी भी पद पर रहते हुए राशि की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि का नियमन इस अधिसूचना के पैरा-9 अनुसार किया जाएगा।

5. वाहन अग्रिम—

(1) योजना का विकल्प देने वाले अधिकारी को रुपये 3.00 लाख अथवा वाहन की कीमत, जो भी कम हो, वाहन अग्रिम दिया जायेगा। अग्रिम केवल नवीन वाहन क्रय के लिए दिया जायेगा। वाहन अग्रिम की राशि समय-समय पर वाहनों की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(2) वाहन अग्रिम पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(3) कतिपय मामलों, जहाँ वाहन निर्माता द्वारा यह शर्त लगा दी जाती है कि वाहन की बुकिंग के समय वाहन की सम्पूर्ण कीमत अग्रिम के रूप में डिपोजिट की जाए वहाँ अग्रिम रूप से राशि अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने हेतु अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये अग्रिम पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को ब्याज की राशि शासन को वापस करनी होगी।

(4) वाहन अग्रिम की वसूली वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम के मूलधन एवं ब्याज की वापसी अधिकतम 10 वर्ष की समयावधि में की जायेगी।

(5) पात्र अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के अग्रिम जैसे—गृह निर्माण, कम्प्यूटर अग्रिम के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वाहन अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ अधिकारियों द्वारा पूर्व में वाहन अग्रिम प्राप्त किया गया है, इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि पूर्व में प्राप्त किये गये अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि ब्याज सहित एकमुश्त शासकीय कोष में जमा कर दी जाए। परन्तु, यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ कार की अग्रिम बुकिंग के लिए डिपॉजिट करने हेतु अग्रिम लिया गया है—ऐसे मामलों में वाहन की डिलेवरी प्राप्त करने पर पुराने अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि जमा करना आवश्यक होगा।

(6) जिन अधिकारियों द्वारा योजना का विकल्प नहीं दिया जाता है उन्हें स्वमेव शासकीय वाहन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी के कार्य के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे।

6. ऋण तथा अग्रिम के संबंध में—

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/513/एल-14/2/03/ब-4/चार/2003, दिनांक 10-12-2003 (वित्त निर्देश 61/2003) द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित पंजी के संधारण तथा ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) महालेखाकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति एवं वसूली के संबंध में यह आपत्ति ली गयी है कि ऋण स्वीकृति के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I के नियम 220 का पालन नहीं किया जा रहा है, अर्थात् ऋण स्वीकृति आदेश में पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

(3) अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागाध्यक्ष कार्यालयों को उक्त संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 61/2003 का पालन सुनिश्चित करने एवं ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की वसूली विलंब से होने की स्थिति में देय दाण्डिक ब्याज, प्रथम किशत के भुगतान की तिथि तथा स्थगन अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

[वित्त विभाग क्र. 958/03939/संसा./ब-4/चार, दिनांक 16-10-2017]

शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा

(Medical Benefits to Government Servants)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-21-05/2010/नौ/55 दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू किया गया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया को विनियमित करना है।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013—

¹स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

- (क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,
- (ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,
- (ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,
- (घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,
- (ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,
- (च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अधधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :—

- (क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,
- (ख) अंशकालिक कर्मचारी,
- (ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित।
दिनांक 3-4-2013 से प्रयोज्य।

- (घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,
(ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

2. परिभाषाएँ—

- (क) “प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक” नियम 3(ज) के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;
(ख) “आयुष” आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;
(ग) “परिवार” से अभिप्रेत है:—

- (एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति;
(दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सौतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं;
(तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियाँ) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;
(चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणतः वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनकी आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो :

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा-पत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता-पिता उस पर ही पूर्णतः आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

- (पाँच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेंशनर माता-पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(घ) “चिकित्सालय” —

- (एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;
(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;
(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

- (ङ) “चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय” से अभिप्रेत है शासकीय एलोपैथिक दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

4. मानसिक रोगी का उपचार—मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारी, राज्य शासन के किसी भी चिकित्सालय या शासकीय मानसिक चिकित्सालय, यथास्थिति, में भर्ती होने की तारीख से, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये निःशुल्क चिकित्सा उपचार, वास स्थान तथा खुराक के लिए हकदार होगा।

5. उपचार एवं प्रतिपूर्ति—(1) चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोगियों को ऐसे वार्ड में रख सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार, निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड क्रास-मैचिंग का हकदार होगा, यदि चिकित्सालय में कर्मचारी द्वारा ऐसे उपचार, वास स्थान के लिये अथवा किसी अन्य कारण से राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबंधित है।

(3) कर्मचारी प्रथमतः, उपचार, सेवा, कमरे का किराया अथवा कोई अन्य प्रभार (प्रभारों) के लिये देयक (बिल), यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् वह इन नियमों के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काउंटरसाइन) अधिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति के लिये दावा कर सकेगा।

6. प्रतिपूर्ति की सीमा—शासकीय कर्मचारी चिकित्सा सेवा, उपचार, उपचर्या (नर्सिंग) तथा वास स्थान के प्रयोजन के संबंध में उसके द्वारा किये गये व्यय (व्ययों) की निम्नलिखित सीमा (सीमाओं) तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हकदार होगा:—

(1) बाह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरांत संपूर्ण व्यय, किन्तु—

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए—

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1.	1,500/-	नियंत्रण अधिकारी	3 माह के अंदर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2.	1,501/- से 5,000/- तक	जिलों के लिये—यथास्थिति, सिविल सर्जन/ जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये— अधीक्षक/उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
3.	5,001/- से 25,000/- तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ/जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ	
4.	25,001/- से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

(2) अंतः रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;

(3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7(1)(दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्ररूप में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप—ऐसे प्रमाण-पत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि आवश्यक हो, किया जा सकेगा, जो एक समय में एक वर्ष की कालावधि से अधिक की नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियों के साथ एक-एक रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में संधारित करेंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) ऑक्सीजन देने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(5) रुधिराधान के लिए, रक्त खरीद पर उपगत व्यय;

(6) प्रसूति के दौरान, जिसमें प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार शामिल हैं, उपचार करवाने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(7) गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में होने वाला संपूर्ण व्यय;

(8) चिकित्सालय में कमरे के किराये के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें बिजली या बिजली के पंखे, जहाँ वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् बिजली के पंखे, जहाँ वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् जहाँ वे वार्ड या कमरे का भाग हों, पर होने वाला व्यय शामिल है, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में संपूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत होगा;

यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

(Travelling and Daily Allowance)

1. दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता—

राज्य शासन छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की वेतन संरचनाओं में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की संगणना के लिए विन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 5 सितम्बर में स्थापित प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

श्रेणी का निर्धारण

श्रेणी	मानक
ए	रु. 10,000/- या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान पाने वाले समस्त अधिकारी।
बी	रु. 7,600/- या इससे अधिक परन्तु रु. 10,000/- से कम ग्रेड वेतन प्राप्त समस्त अधिकारी।
सी	रु. 4,400/- या इससे अधिक परन्तु रु. 7,600/- से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त शासकीय सेवक।
डी	रु. 2,400/- या उससे अधिक परन्तु 4,400/- से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त शासकीय सेवक।
ई	रु. 2,400/- से कम ग्रेड पाने वाले शासकीय सेवक।

2. पूरक नियम 20(सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	राजधानी	शताब्दी	सामान्य
ए	एसी प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	एसी टू टियर	एसी चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी (एसी की प्रथम श्रेणी को छोड़कर)
सी	एसी 3 टीयर	एसी चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी (एसी प्रथम श्रेणी को छोड़कर)
डी	—	—	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं) एसी चेयरकार
ई	—	—	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं)

3. शासकीय सेवकों द्वारा हवाई यात्रा—

यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार

होगी—

- (क) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा करेंगे।
- (ख) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर इकोनोमी क्लास में यात्रा करेंगे।
- (ग) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु इकोनोमी क्लास से यात्रा करेंगे।

4. सड़क मार्ग से लोक वाहन द्वारा यात्रा—

छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता को पूरक नियम 22 के अनुसार सड़क मार्ग से लोक वाहन (Public transport) द्वारा यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	पात्रता
ए	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
बी	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
सी	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
डी	शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस एवं विडियो कोच से यात्रा की सुविधा होगी।
ई	शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की सुविधा होगी।

5. मील भत्तों की दर—

यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 25 के अनुसार मील भत्तों की दरें निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	रिमार्क
ए एवं बी	स्वयं की कार / टैक्सी (एसी टैक्सी शामिल)	10/- रूपए 14/- रूपए	1. टैक्सी पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई एवं रसीद प्रस्तुत की गई। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ है तब कार या टैक्सी से की गई यात्रा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के लिए किराए से सीमित किया जावेगा।

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	रिमार्क
सी	स्वयं की कार टैक्सी (नान एसी)	10/- रूपए 12/- रूपए	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से किया गया एवं रसीद प्रस्तुत की गई। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा है तो कार या टैक्सी से की गई यात्रा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के क्रिया से सीमित किया जावेगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर साइकिल एवं अन्य साधन	4/- रूपए 1/- रूपए	

6. शासकीय सेवकों के लिए प्रवास दैनिक भत्ता, आवास भत्ता, स्थानीय परिवहन व्यय की स्वीकृति—

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर की श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है—

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार			आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)			स्थानीय परिवहन प्रतिदिन		
	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड
ए	500	400	300	7500	2000	1000	1000	500	300
बी	300	250	200	5000	1500	750	800	400	250
सी	200	150	125	2000	750	375	400	250	150
डी	150	100	80	1000	500	250	200	150	100
ई	100	80	60	500	250	125	100	75	50

टीप—1. नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन क्रमांक 2(13)/2008-E, III(B) दिनांक 29-08-2008 के साथ संलग्न परिशिष्ट (जो इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है) के अनुसार होगा।

2. राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेल हाऊस/गोस्ट हाऊस इत्यादि में स्थान उपलब्ध होने पर निम्नानुसार के पाठ्यक्रम की जावे।

7. शासकीय सेवक को नया रायपुर में निवास हेतु प्रोत्साहन—

(i) राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को नया रायपुर में स्थित शासकीय आवासों में निवास हेतु प्रोत्साहन हेतु निर्णय लिया गया है कि किसी शासकीय सेवक को नया रायपुर में शासकीय आवास आबंटित होने पर यदि उसे रायपुर से नया रायपुर घरेलू समान का परिवहन करना पड़ता है तो वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 45 सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1-3-2011 की कंडिका 8(अ) में उल्लेखित दरों से छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 81(2) के अंतर्गत देय एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया जावे। स्वयं के मकान या किराए के मकान में घरेलू समान के परिवहन हेतु एक मुश्त अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 319/एफ 2014-04-01327/वि/नि/चार, दिनांक 6-8-2014]

(ii) उक्त परिपत्र में राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुदान की पात्रता शासकीय कर्मचारी द्वारा नया रायपुर में शासकीय आवास का अधिपत्य लेने की तिथि से होगी।
[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 422/एफ/474-21-00938/वि/नि/चार, दिनांक 16-10-2014]

8. शासकीय सेवकों द्वारा राज्य के बाहर यात्रा हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता—

(1) राज्य शासन द्वारा, पूर्व में स्वीकृत यात्रा भत्ता को अपर्याप्त मानते हुए, विचारोपरत राज्य के बाहर की यात्रा हेतु आवास (प्रतिदिन होटल व्यय), स्थानीय परिवहन, विशेष विराम भत्ता तथा निजी सामान परिवहन की वर्तमान दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है—

शासकीय सेवक की श्रेणी	आवास (होटल व्यय) प्रतिदिन		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	X श्रेणी का शहर	Y/Z श्रेणी का शहर	X श्रेणी का शहर	Y/Z श्रेणी का शहर
ए	9000/-	6000/-	1000/-	600/-
बी	6000/-	4000/-	800/-	500/-
सी	2400/-	2000/-	400/-	250/-
डी	1200/-	1000/-	300/-	200/-
ई	1000/-	800/-	150/-	100/-

टिप्पणी—(1) विशेष विराम भत्ता—छत्तीसगढ़ यात्रा नियम के पूरक नियम 55 के अंतर्गत राज्य के बाहर की हवाई यात्रा हेतु विशेष विराम भत्ता की पात्रता आधा दैनिक भत्ता के स्थान पर एक दैनिक वेतन भत्ता होगा।

(2) निजी सामान परिवहन—राज्य के बाहर स्थानान्तरण के मामले में शासकीय सेवक को निजी सामान परिवहन की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के कर्मचारी हेतु समय-समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

3. यह आदेश दिनांक 1-10-2016 या इसके पश्चात् की यात्राओं/निजी सामान के परिवहन हेतु लागू होगी। यात्रा भत्ता की शेष दरें एवं शर्तें पूर्ववत होगी।

आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश (Casual Leave and Special Casual Leave)

तकनीक दृष्टि से "आकस्मिक अवकाश" को अवकाश नहीं माना गया है। क्योंकि इस अवकाश के दौरान कर्मचारी कर्तव्य पर ही रहता है तथा ड्यूटी पर वेतन प्राप्त करता है।

1. आकस्मिक अवकाश—

(1) एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2341-3006-1 (iii)/64, दिनांक 11-12-1964]

(2) लिपिक-वर्गीय शासकीय सेवक (आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, को एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। यह नियम शासकीय मुद्रणालय के तथा अन्य विभागों के उन लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा श्रम कानूनों से शासित होते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2378-3125/1 (3)/66, दिनांक 30-11-1966]

(3) सार्वजनिक/सामान्य अवकाश को जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़े, उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ये अवकाश आकस्मिक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2942-2068-1 (3)/60, दिनांक 13-12-1960]

(4) फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षार्थियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं वन शाला में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्रान्तिकाल के रूप में एक समय में 14 दिन तक का अवकाश दिया जा सकता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1511-सी-आर-763 (3)/58, दिनांक 15-7-1959]

(5) माह के द्वितीय तथा तृतीय शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ19/85/83/4/1, दिनांक 11-5-1983 द्वारा शासकीय कार्यालयों में अवकाश मंजूर है।

(6) लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 679/332/1(3)/82, दिनांक 30-11-1982]

(7) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश की पात्रता हेतु अवधि की गणना—मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक,

प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-39/3/49/88, दिनांक 6-4-88 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा व जनशक्ति नियोजन विभागों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों के लिये आकस्मिक अवकाश की अवधि कैलेण्डर वर्ष के स्थान पर 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाए।

2. आकस्मिक अवकाश उपभोग की अधिकतम सीमा—

आकस्मिक अवकाश एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

3. स्वीकृति की अन्य शर्तें—

आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिये और पात्रता से अधिक हो जाने पर पात्रतानुसार अन्य प्रकार के नियमित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिये। आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश अवकाश के साथ अथवा कार्यग्रहण काल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

4. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी—

कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम है। (सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक-6, कंडिका 4,5 एवं 6) कार्यालय प्रमुखों के आकस्मिक अवकाश उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अपना यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 342/537/एफ-ओ.एम., दिनांक 21-8-71]

5. आधे दिन का आकस्मिक अवकाश—

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक-692/1098/1 (3)/72, दिनांक 25-10-72 द्वारा दिनांक 1-11-72 से आधे दिवस का आकस्मिक स्वीकृत करने के आदेश दिये गये हैं।

6. रमजान मुबारक में शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति—

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 309/2000/सा.प्र.वि., दिनांक 2-12-2000
तथा क्र. एफ. 1-3/2005/1/एक, दिनांक 10-10-2005]

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश—

(1) परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2323/2096/1 (3), दिनांक 13-11-1959]

(2) नॉन प्यूरपल टी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4-10-66 प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2037-सी.आर. I (ii) 66, दिनांक 4-10-1966]

(3) दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसे प्रसूति के बाद आपरेशन कराया जाता है, तो कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1073/555/1 (3), दिनांक 8-4-1970]

(4) पत्नी के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-1970]

(5) पुरुष कर्मचारी की पत्नी का टी.टी. आपरेशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नर्सिंग होम में कराई गयी हो। परन्तु इन बाबत प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्र. सी-3/14/86/3/1, दिनांक 5-4-1989]

(6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्साकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। इस छः दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश सम्मिलित है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 820/386/1/ (3), दिनांक 26-11-1975]

(7) महिला कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाने की स्थिति में दुबारा शल्यक्रिया कराने पर पुनः 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पाने की पात्रता है, यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्तें पूर्व के ज्ञापन दिनांक 26-11-75 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 54-52-1-3-76, दिनांक 12-2-1976]

(8) जिस कर्मचारी की नसबन्दी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अविवाहित है या उसके दो से कम बच्चे हैं या नसबन्दी कराने के बाद सभी बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और यदि वह दुबारा नस जुड़वाना चाहता है तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर

- (i) नसबंदी आपरेशन कराने वाले पुरुषों को ऐसी अवधि तक जो छः दिन से अधिक न हो, मजदूरी,
- (ii) गैर प्रसव बंधीकरण कराने वाली महिला कर्मचारियों को ऐसी अवधि तक जो 14 दिन से अधिक न हो मजदूरी,
- (iii) लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को एक दिन की मजदूरी।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्र. एफ.सी. 3-8-78/3/49,
दिनांक 16-3-89]

13. हरितालिका के उपलक्ष्य में महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश—

यदि कोई महिला कर्मचारी हरितालिका का व्रत रखने के लिए यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2003/1/5, दिनांक 19-8-2003]

14. कर्मचारी खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश—

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. 12268/2527/1, दिनांक 17-10-57 के अनुसार अखिल भारतीय ख्याति के खिलाड़ी शासकीय कर्मचारी यदि अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के विदेशों में या भारत में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो उन्हें एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक आवश्यकता होने की स्थिति में कोई अन्य देय नियमित अवकाश इससे तारतम्य में लिया जा सकता है। ऐसी दशा में विशेष प्रकरण मानकर विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसे सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न मामलों में दिया जा सकता है—

- (क) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेल-कूद में भाग लेने के लिए; तथा
- (ख) जब संबंधित सरकारी सेवक का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न संगठनों में से किसी में दल के सदस्य की हैसियत से चयन किया जाये—

- (i) अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन;
- (ii) भारतीय हॉकी फेडरेशन;
- (iii) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड;
- (iv) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन;
- (v) अखिल भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन;
- (vi) अखिल भारतीय बेडमिंटन एसोसिएशन;
- (vii) अखिल भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन;
- (viii) अखिल भारतीय महिला हॉकी एसोसिएशन;
- (ix) भारतीय राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन, अथवा

(2) उपरोक्त के अलावा प्रतिवर्ष क्रमशः भाद्रपद कृष्णपक्ष 11 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी या पंचमी तक उनके पर्युषण पर्व के लिए तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिए कार्यालय में 12 बजे तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एम-3-5/1990/1/4, दिनांक 17-1-1992]

17. केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों की भांति राज्य के निःशक्त कर्मचारियों को 10 दिवसीय विशेष अवकाश—

भारत सरकार, कार्मिक तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक No. 28016/02/2007-Estt. (A) dated 14 November, 2007 द्वारा केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों को निःशक्तजनों के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित, सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर में देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य शासन तथा राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, आयोग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी निःशक्तजनों के उत्थान हेतु आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दिया जाये। यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा। इस विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु वहीं अधिकारी प्राधिकृत होगा, जो सामान्य आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत है।

3. उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये प्रदान किया जा सकेगा—

- (1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे—यू.एन.ओ., विश्व बैंक इत्यादि द्वारा आयोजित सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।
- (2) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा/पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।
- (3) निःशक्त व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 50 से 55 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के मान्य संस्थाएं।
- (4) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार।
- (5) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाएं एवं एजेन्सियां।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.13-9/2012/1/3, दिनांक 19-12-2012]

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010

(Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010)

1. नवीन नियम की विशेषताएँ—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक एक अक्टूबर 2010 द्वारा प्रचलित सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 को संशोधन कर नया नियम दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया है। अब सरकारी सेवकों के अवकाश से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण इन्हीं नियमों के अंतर्गत होगा। इस संशोधित नियम के मुख्य बात निम्नानुसार है—

(1) अर्जित अवकाश की नई व्यवस्था—अर्जित अवकाश खाते में अग्रिम जमा उसी प्रकार किया जावेगा जैसी वर्तमान प्रचलित व्यवस्था है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-1/3/96/सी/चार दिनांक 20.6.96 के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2010 को 225 से 240 दिन का अवकाश पहले से जमा होने पर, दिनांक 1.7.2010 को अग्रिम जमा का पृथक से रखा गया हो, तब वह 1.10.2010 की स्थिति में नए अवकाश लेखे में बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है। इस अवकाश का एक समय में लेने की सीमा 120 दिन से बढ़कर 180 दिन कर दिया गया है।

(2) अर्द्ध वैतनिक अवकाश की नई व्यवस्था—पूर्व अवकाश नियम के अधीन एक वर्ष में 20 दिन अर्द्ध वैतनिक अवकाश जमा किया जाता था। अब नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर अब 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को दस-दस दिन का अग्रिम खाते में जमा किया जावेगा। चूँकि नया वर्ष दिनांक 1.11.2011 से प्रारम्भ होगा अतः इसके पूर्व जिस तिथि को पिछले पूर्ण वर्ष का अवकाश खाते जमा किया जावेगा या जमा किया जा चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। परन्तु, उसके बाद तथा 31.12.2010 के बीच की अवधि की गणना प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर माह के लिए डेढ़ माह के लिए करके 1.1.2011 को शेष में शामिल कर दिया जावेगा। इसके पश्चात् नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को दस-दस दिन का अग्रिम जमा किया जावेगा।

टिप्पणी—अर्द्ध वैतनिक खाते में जमा की गई राशि एवं उसको लेने की कोई अधिकतम सीमा का बंधन नहीं है।

(3) मातृत्व अवकाश की व्यवस्था—नवीन अवकाश नियम में मातृत्व अवकाश (Maternity leave) एवं दत्तक ग्रहण (Adaption) अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। यदि कोई महिला इस नियम के प्रभावशील होने की तिथि को मातृत्व अवकाश पर थी, तब उसे 180 दिन का अवकाश का लाभ मिलेगा।

4. पितृत्व अवकाश—पूर्व नियम के अधीन एक बच्चे तक ही पितृत्व अवकाश सीमित था। नए नियम में इसे बढ़ाकर दो बच्चों तक कर दिया गया है।

अर्जित अवकाश का नगदीकरण (Leave Encashment)

1. सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण—

(1) पात्रता—अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले, शासन द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने वाले तथा असमर्थ पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को यह देय है।

टिप्पणी—कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं है।

(2) अधिकतम सीमा—सेवा निवृत्त होने के दिनांक को अवकाश लेखे में शेष के अर्जित अवकाश के बराबर, परन्तु जो 240 दिन से अधिक नहीं हो, के लिए यह देय है।

टिप्पणी—नगदीकरण तथा समर्पण अवकाश की कुल सीमा से उससे अधिक नहीं होगी जो शासकीय सेवक अपनी पूरी सेवा में रहते वर्तमान आदेशों के अधीन अवकाश का समर्पण करता है।

(3) एकमुश्त भुगतान—अवकाश वेतन के बराबर स्वीकार नगद राशि सेवानिवृत्त पर देय होगी और उसकी अदाएगी एक ही बार भुगतान के रूप में की जावेगी।

(4) अवकाश वेतन—अवकाश वेतन वही होगा जो कर्मचारी को अर्जित अवकाश पर जाने पर मिलता है इसमें नगर क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल नहीं होता है। अवकाश भत्ता गणना का सूत्र इस प्रकार है।

$$= \frac{\text{वेतन} + \text{महगाई भत्ता}}{30} \times \text{समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या}$$

(5) सक्षम अधिकारी—कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी सक्षम अधिकारी है। अवकाश नगदीकरण के लिए सक्षम अधिकारी है।

[वित्त विभाग क्र. 13/77/नि-1/चार, दिनांक 16-6-1980]

2. मृत्यु पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण—

(1) पात्रता—ऐसे शासकीय सेवक जो निम्न श्रेणी में नहीं आते, वे अवकाश नगदीकरण के लिए पात्र हैं—

(i) आखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अथवा सेवक जिन्हें आखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाभ आखिल भारतीय सेवा सेवानिवृत्त नियमों के अन्तर्गत यह लाभ देय है।

(ii) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

(General Provident Fund Rules, 1955)

1. सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955—

शासकीय सेवकों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्यतः किए जा रहे अंशदान के विनियमन एवं संधारण हेतु सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 लागू किया गया। परन्तु यह नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा में दिनांक 1 नवम्बर 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

2. सामान्य भविष्य निधि नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान—

(1) निधि का गठन तथा अंशदान की पात्रता—(i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण होगा।

(ii) ऐसे कर्मचारी जो ठेके पर रखे गए हैं या जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है उनको छोड़कर, समस्त शासकीय सेवक जो शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन कार्यरत हैं, इस निधि में अंशदान हेतु पात्र हैं।

(iii) समस्त शासकीय सेवक, जो निधि में अंशदान के पात्र हैं, अनिवार्यतः उसमें अंशदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार अगर चाहे तब किसी विशेष प्रकरण में अंशदान से छूट दे सकती है।

(2) अंशदान की राशि—निम्न लिखित शर्तों के अधीन, अंशदान की राशि निर्धारित की जायेगी—

(i) राशि पूर्ण रूप में अधिकतम की जावें।

(ii) यह राशि कितनी भी हो सकती है, जो कि परिलब्धियों के 12% से कम नहीं हो सकेगी तथा परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

3. अंशदान की राशि का निर्धारण—

नियम 11(3) के अधीन, अभिदाता उसके मासिक अंशदान की सूचना निम्नानुसार विधि अनुसार अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा—

(i) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को कर्तव्य पर था तब वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में, जो राशि जमा कराना चाहता है।

(ii) यदि वह पिछले वर्ष के 31 माह को अवकाश पर था तथा उसने अवकाश के दौरान अंशदान नहीं देने का चयन किया है अथवा उस दिन निलम्बित है, तो कर्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम देयक से काटी जाने वाली अंशदान की राशि।

(iii) यदि वह पहली बार वर्ष के दौरान सेवा में प्रविष्ट हो रहा है तो अपने वेतन देयक से इस संबंध में काटी जाने वाली राशि।

(iv) उपरोक्तनुसार नियत किए गए अंशदान की दर में वर्ष के दौरान कोई फेर-बदल नहीं होगा चाहे उसके वेतन की दर में बढ़ोत्तरी या कमी, जो कि पिछले वर्ष के 31 माह को देय हो चुकी है अथवा वर्ष के दौरान देय होगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में फेरबदल हो सकता है—

(क) यदि अभिदाता माह के कुछ समय में कार्य पर रहे तथा कुछ समय बिना वेतन अवकाश पर रहे और उसने अवकाश अवधि का अंशदान नहीं देने का चयन किया हो।

(ख) किसी माह के दौरान मृत्यु हो जाने पर अंशदान नहीं काटा जायेगा।

(नियम 11)

4. अंशदान का निलम्बन—

निलम्बन अवधि में अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त पर होने की तिथि के 4 माह पूर्व से अंशदान बंद हो जायेगा। अभिदाता लिखित में विकल्प देकर उन माहों में, जिसमें अभिदाता पूरे माह अर्धवेतन अवकाश पर रहा है अपना कम से कम आधे माह तक बिना वेतन असाधारण अवकाश पर रहा है तब अंशदान न करने का चयन कर सकता है। (नियम 10(1))

5. अंशदानों की वसूली—

(i) जब वेतन राशि राज्य के किसी कोषालय से निकाली जायेगी तब इन वेतन राशियों का अंशदान एवं अग्रिमों का मूलधन एवं ब्याज इन वेतन राशियों में से घटाया जायेगा।

(ii) जब वेतन राशियाँ अन्य किसी स्रोत से निकाली जाये वहाँ अंशदाता द्वारा अपनी देनदारियाँ लेखा अधिकारी को अग्रेसित की जावेगी अथवा उपयुक्त शीर्ष में शासकीय लेखे में चालान से जमा की जावेगी। (नियम 13)

6. प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सदस्यों की सदस्यता—

बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक नियमों के अधीन उसी प्रकार अभिदाता बने रहेंगे, जैसे कि वे इस सेवा में जाने के पूर्व थी। (नियम 12)

टिप्पणी—वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्रमांक 596/557/वि/नि/चार/2003, दिनांक 29 जुलाई 2003 द्वारा समस्त विभाग/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिनियुक्त पर पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि अंशदान बाह्य नियोजकों से प्राप्त करें तथा कटौती का विवरण महालेखाकार छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करें।

7. नामांकन—

(क) अभिदाता सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनने के साथ ही प्रपत्र जी.पी.एफ. 3-ए (यदि अभिदाता का परिवार नहीं है) में अपना सामान्य भविष्य निधि नामांकन पत्र चार प्रतियों में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। अभिदाता अपनी मृत्यु होने की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि की संपूर्ण राशि या कोई भाग (Share) प्राप्त करने के लिये एक या एक से अधिक व्यक्तिको नामांकित कर सकता है। अभिदाता किसी भी समय नामांकन पत्र निरस्त कर सकता है एवं

सामान्य भविष्य निधि खाता के विषय में महत्वपूर्ण संशोधित निर्देश

(Important Orders on GPF)

1. ई-कोष आइलाइन पोर्टल—

शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का विवरण ई-कोष ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित है। इसे शासकीय सेवकों द्वारा निम्नानुसार देखा जा सकता है—

- Internet-browser के Address Bar में वेबसाइट <http://cg.nic.m/dtap> को अंकित कर Enter करें।
- वेबपेज खोलने पर प्रदर्शित सूची के रिपोर्ट लिंक (Reports Link) के अन्तर्गत प्रदर्शित AG Interface को क्लिक करें।
- प्रदर्शित मेनूबार में Employes Code number पासवर्ड कोड नम्बर और जन्म तिथि एक साथ लिखने तथा सुरक्षा कोड में अंकित शब्द को निर्धारित यथास्थान में लिखा जाना है।
- प्रदर्शित मेनूबार पर वर्ष चयन कर Submit करने पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते के चयनित वर्ष का वित्तीय विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।

[वित्त विभाग क्र. 1801/एक2014-04-00935/ब-4/चार, दिनांक 22-02-2014]

2. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 92/एफ 2014-04-00907/वि/नि/चार, दिनांक 24-02-2014—

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्र. 196/137/वि/नि/चार/2004, दिनांक 6 मार्च, 2004, क्र. 278/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19-09-2007, क्र. 91/313/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 23-04-2008, क्र. 84/157/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 08-04-2009 एवं क्र. 267/102/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 17-08-2011 के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों के निराकरण संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20-01-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1774/2121/2000/C/4 दिनांक 25-08-2000 एवं संदर्भित परिपत्रों के निर्देशों का अधिकांश आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व महालेखाकार को प्रेषित करने के निर्देश हैं किन्तु, अधिकांश मामलों में प्रकरण सेवानिवृत्ति के कई माह पश्चात् प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे शासन को ब्याज की अनपेक्षित हानि होती है साथ ही अभिदाता को समय पर प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होता है। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि,

(1) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) "क" के अनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करें। परन्तु कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान को ध्यान न देते हुए सेवानिवृत्ति दिनांक तक कटौती किया जाता है, जो सामान्य भविष्य निधि नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि प्रकरण के अंतिम भुगतान में किये जा रहे विलम्ब के फलस्वरूप अभिदाता को अधिक ब्याज के साथ सुरक्षित निवेश बिना आयकर भुगतान प्राप्त होता रहता है।

(2) महालेखाकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंतिम भुगतान का प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरांत तत्परता से भुगतान न किया जाकर अनावश्यक विलम्ब किया जाता है जिसके कारण बहुत से अभिदाता विधिक फोरम के माध्यम से ज्यादा ब्याज की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति आपत्तिजनक है।

(3) महालेखाकार द्वारा यह तथ्य भी राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि पासबुक का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से खाते से आहरणों की प्रविष्टि तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया जाना शामिल है। सामान्य भविष्य निधि पासबुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा सामान्य भविष्य निधि पासबुक के उचित रखरखाव के बिना अभिदाता के क्रेडिट/डेबिट के विवरण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिससे प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यालय प्रमुखों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समय पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है और राज्य शासन को अतिरिक्त ब्याज का भार भी उठाना पड़ता है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यालयीन निरीक्षणों में भी इन निर्देशों के पालन की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा प्रकरण में विलंब या त्रुटि हेतु जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 92/एफ 2014-04-00907/वि/नि/चार, दिनांक 24-2-2014]

3. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 376/एल 2014-71-00209/वि/नि/चार, दिनांक 19-09-2014—

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 14(4) में यह प्रावधान है कि शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के मामले में उनके खाते में शेष राशि के अलावा राशि भुगतान करने वाले माह के पूर्ववर्ती माह तक के ब्याज का भुगतान किया जाता है, अर्थात् माह के समाप्त होने के तुरंत बाद की अंतिम

सेवानिवृत्त लाभ (Retirement Benefits)

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976—

यह नियम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के विभिन्न वर्गों के सेवानिवृत्त लाभों, जैसे पेंशन, उपदान, इत्यादि के विनियमन हेतु उपबन्धों को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। परन्तु इन नियमों के उपबन्ध ऐसे शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जो दिनांक 1

नवम्बर 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हैं।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 977/सी-761/वि/नि/चार, दिनांक 27-10-2004]

2. पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन के दावों का नियमन—

(1) शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति या उसकी मृत्यु के समय स्थापित नियमों के अधीन पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन का नियमन किया जाता है।

(2) कार्यालय या विभाग में की गई सेवा पेंशन हेतु अहर्तादायी है अथवा नहीं, इसका निर्धारण इन प्रचलित नियमों के अधीन किया जायेगा जो सेवा से संपादन के समय प्रभावशील है।

(3) जिस दिन पूर्वान्ह से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या किया जाता है अथवा सेवामुक्त या सेवा से त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है, जैसा भी प्रकरण हो, उस दिन को कार्य दिवस नहीं माना जायेगा, परन्तु मृत्यु के दिन को कार्य दिवस माना जायेगा। [नियम 5]

3. पेंशन या परिवार पेंशन निरन्तर चालू रहने की शर्त—

(1) पेंशनधारी का सदाचारी होना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 8 के अधीन एक महत्वपूर्ण शर्त पेंशन या परिवार पेंशन के सदा निरन्तरता के लिए है।

(2) यदि कोई पेंशनधारी को किसी गंभीर अपराध करने का दोषी पाया जाता है अथवा गंभीर कदाचरण करने का आरोपी ठहराया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी (नियुक्तकर्ता) अधिकारी उसकी सम्पूर्ण पेंशन या उसके किसी अंश को हमेशा के लिए अथवा किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है, या वापस ले सकता है। यदि पेंशन के किसी अंश को रोका जाता है तो शेष पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी। परन्तु पेंशन रोके जाने का ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व नियुक्तकर्ता अधिकारी पेंशनधारी को बचाव का अवसर प्रदान करेगा।

(3) नियुक्तकर्ता अधिकारी अगर राज्यपाल है, तब लोक सेवा आयोग से परामर्श कर आवश्यक आदेश जारी करेंगे। राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी। अगर अन्य किसी अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है तब राज्यपाल को अपील प्रस्तुत हो सकेगी।

टिप्पणी—(1) गम्भीर अपराध से अभिप्राय कार्यालयीन गोपनीय अधिनियम (Official Secret Act) (क्र. 19 सन् 1923) में परिभाषित गम्भीर अपराध से है।

(2) गम्भीर दुराचरण (Grave Misconduct) शब्द का अभिप्राय, शासन में किसी पद पर रहते हुए, कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल, किसी सूचना के संचार या प्रसंग या शब्द भेद या कोई नक्शा या योजना, नमूना, सामग्री टीप, अभिलेख, जैसाकि अधिनियम के खण्ड 5 में उल्लेखित है, जिससे देश की सुरक्षा या सामान्य जनहित पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़े।

4. पेंशन रोकने या वापिस लेने की सक्षमता—

(1) पेंशन को रोकने या पेंशन या उसके किसी भाग को वापस लेने, चाहे वह स्थाई हो या फिर किसी निर्धारित अवधि के लिए हो अथवा किसी विभागीय या न्यायायिक कार्यवाही में पेंशन भोगी से उसके द्वारा की गई उपेक्षा या गम्भीर कदाचरण के लिए दोषी पाए जाने पर या शासन को हुई आर्थिक हानि के पूर्ण या उसके किसी अंश का वसूलने के आदेश देने का अधिकार राज्यपाल में सुरक्षित है।

परन्तु अन्तिम आदेश देने के पूर्व लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक होगा तथा जहाँ पेंशन का कुछ अंश रोका गया है या वापिस किया जाता है इस प्रकार शेष पेंशन न्यूनतम से कम नहीं होगी। [पेंशन नियम 9]

(2) उक्त नियम सेवानिवृत्ति उपरान्त संविदा आधार पर नियुक्त पेंशनधारियों को भी लागू होगी। [वित्त विभाग क्र. 394/सी-158/वि/नि/चार, दिनांक 22-9-2005]

टिप्पणी—(1) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-1-1/2008/1 एक दिनांक द्वारा छत्तीसगढ़ कार्य नियम में संशोधन करते हुए उक्त मामले को मंत्री परिषद में रखे जाने वाले मामले से विलोपित करते हुए पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के अधीन पेंशन को रोकने, वापस लेने एवं कम करने संबंधी प्रकरण समन्वय के मामले की सूची में शामिल किया गया है।

(2) तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन नियम 9(1) में अन्तर्गत पेंशन को रोकने एवं वापस लेने तथा नियम 9(2) के अधीन शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए या पुर्ननियुक्त के दौरान शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित नहीं करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय जाँच संस्थापित करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय जाँच संस्थापित करने सम्बन्धी प्रकरण पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना होगा।

[वित्त विभाग क्र. 103/एफ 2017-46-00/95/वित्त/नियम/चार, दिनांक 2-5-2017]

5. सेवानिवृत्ति के उपरान्त व्यावसायिक नियोजन—

(1) यदि कोई पेंशनर जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले राज्य की प्रथम श्रेणी की सेवा में था, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यावसायिक नौकरी शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

8. पेंशन नियमों की भावना के अनुरूप एक आदर्श मॉडल के रूप में मंत्रालय स्तर पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के दिनांक को पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. वितरित करने की व्यवस्था अगले माह से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन का कार्य कार्यालय प्रमुख स्तर पर सेवानिवृत्ति तिथि तक लंबित रहता है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किये जाने के पश्चात् वेतन निर्धारण की जांच किये जाने पर अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर शासकीय सेवकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः समस्त शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच/अनुमोदन का कार्य समय-समय पर वेतनमानों के पुनरीक्षण (आदेशों के जारी होने के एक वर्ष की समयावधि के भीतर) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के कार्यालय से अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका हमेशा अद्यतन रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शासकीय सेवक के अधिवार्षिकी आयु के 2 वर्ष पूर्व सभी वेतन निर्धारण की जांच कर ली गई है तथा वेतन निर्धारण के अनुमोदन उपरान्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा दी गई टीप अनुसार वेतन नियमन यथासमय किया जाकर यदि वसूली हो तो सेवा में रहते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। सेवा अवधि में अधिक भुगतान की वसूली पूर्ण न होने पर उक्त विलम्ब हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य शासन की स्पष्ट मंशा है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[वित्त विभाग क्र. 250/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 21-8-2007]

30. पेंशन पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय—

(1) जी.वाई. परांजपे वि. आयुक्त, 2005(1) इ.ए.सी. 108, 112, 113 एवं 105 (बाम्बे)—इस प्रकरण में बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि शासकीय सेवक कभी-कभी सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पेंशन का लाभ ले रहा है, अगर पेंशन योजना में परिवर्धन में कोई परिवर्तन होता है तब ऐसे शासकीय सेवक को इसका लाभ लेने से इस आधार पर अवरोध नहीं किया जा सकता कि वह बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुका है। न्यायालय ने यह माना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अतः पेंशन योजनाओं में जब-जब भी परिवर्तन होगा उसका लाभ पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा।

(2) एक्शन कमेटी, दक्षिण-पूर्व रेल्वे पेंशनर्स वि. भारत सरकार 1991 सूपा एस.एस.सी. 544 : (1991) 5 जेटी (एस.सी.) 8—दक्षिण-पूर्व रेल्वे पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों को विशेष महंगाई भत्ता उनके पेंशन राशि के ऊपर दी जा रही थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर, यह माँग की कि उनके महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन

समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना

(Group Insurance Scheme and Family
Benefits Fund Scheme)

1. समूह बीमा योजना—

(1) योजना की प्रभावशीलता—राज्य शासन के समस्त कर्मचारियों के लाभार्थक योजना, राज्य शासन द्वारा, दिनांक 1.7.85 से लागू की गई। इस योजना से पूर्व, राज्य परिवार कल्याण निधि योजना 1974 लागू थी। राज्य शासन द्वारा लागू की समूह बीमा योजना में व्यवस्था दी गई कि जो कर्मचारी, इस नवीन योजना का वरण नहीं किए हैं, वे सेवानिवृत्ति तक या आगे भी इस नई योजना का वरण न करने की स्थिति में, पुरानी योजना के ही सदस्य बनेंगे तथा उनके दावे, उस पुरानी योजना के नियमों के अधीन ही निपटाए जावेंगे।

(2) समूह बीमा योजना की सदस्यता—(i) यह योजना, उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू होगी, जो इस योजना को अधिसूचित किए जाने के बाद शासकीय सेवा में आए हैं।

(ii) योजना के सदस्य के रूप में, नामांकित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म 2 में उसके नामांकित दिनांक को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जावेगी। इसकी सूचना चार प्रतियों में बनाई जावेगी। एक प्रति शासकीय सेवक को, एक प्रति संचालक जीवन बीमा विभाग को, एक प्रति सम्बंधित विभागाध्यक्ष को तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकाई जावेगी।

[योजना का नियम 4(4)]

(3) लेकिन योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से अभिदान की राशि 30% राशि की कटौती तत्काल प्रारम्भ कर देने चाहिए ताकि समूह बीमा का लाभ कर्मचारी को सुनिश्चित किया जा सके।

[योजना का नियम 8]

(4) योजना में अंशदान की दर—(i) जब योजना को दिनांक 1.7.85 से लागू किया गया तब योजना में अंशदान की दर निम्नानुसार थी—

अनु.	कर्मचारी की श्रेणी	अंशदान प्रतिमाह (रुपए में)
1.	प्रथम श्रेणी	80/-
2.	द्वितीय श्रेणी	60/-
3.	तृतीय श्रेणी	50/-
4.	चतुर्थ श्रेणी	30/-

समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना | 653

(ii) अंशदान की दर वृद्धि—(एक) दिनांक 1.7.90 से अंशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसी बढ़ी हुई दर का चयन करने अथवा नहीं करने के विकल्प को अनिवार्य किया गया। एक बार दिए गए विकल्प को अन्तिम माना गया।

(दो) दिनांक एक जनवरी 1996 से पुनः अंशदान में वृद्धिकर क्रमशः इसे रु. 100/-, रु. 120/-, रु. 100/-, एवं रु. 60/- श्रेणीवार किया गया।

(तीन) दिनांक 1 जुलाई 2003 से पुनः अंशदान की दर में वृद्धिकर क्रमशः रु. 240/-, रु. 180/-, रु. 150/- एवं रु. 90/- श्रेणीवार किया गया।

[वित्त विभाग क्र. 340/322/वि/नि/चार/03, दिनांक 29-4-2003]

(चार) दिनांक 01 जुलाई 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से दरें निम्नानुसार संशोधित की गई हैं—

समूह	वर्ग	अंशदान प्रतिमाह (रुपए में)		बीमा राशि (रुपये में)	
		1.7.2003 से 30.6.2017 तक	1.7.2017 से	1.7.2003 से 30.6.2017 तक	1.7.2017 से
ए	प्रथम	240/-	480/-	2,40,000/-	4,80,000/-
बी	द्वितीय	180/-	360/-	1,80,000/-	3,60,000/-
सी	तृतीय	150/-	300/-	1,50,000/-	3,00,000/-
डी	चतुर्थ	90/-	180/-	90,000/-	1,80,000/-

टिप्पणी—बढ़ी हुई दरों के विषय में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 252/एल 2015-71-00406/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27.5.2017 द्वारा जारी निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं—

- (1) पूर्व की भाँति अंशदान का 30% भाग बीमा निधि तथा शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा।
- (2) दिनांक 1.7.2017 से अंशदान (बीमा निधि एवं बचत निधि) की बढ़ी दरें उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी, जो वर्तमान में समूह बीमा योजना के सदस्य हैं। कर्मचारियों को इन बढ़ी हुई दरों को स्वीकार करने या न करने का विकल्प नहीं होगा।
- (3) छत्तीसगढ़ संवर्ग में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के सदस्य हैं।

2. बचत राशि ब्याज—

कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या सेवा में नहीं रहने या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर योजना के बचत निधि में जमा राशि ब्याज समेत वापस कर दी जाती है। शासन द्वारा ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित की है—

नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004

(New Contributory Pension Scheme, 2004)

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004 —

पूर्वस्थापित पेंशन योजना में बदलाव करते हुए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई है, इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

- (1) यह योजना इस दिनांक के बाद (1.11.2004) सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा।
- (2) नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ, यह योजना, आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित सेवा स्थाई/अस्थायी कर्मचारियों की भी लागू हो। किन्तु, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्तियों तथा शिक्षाकर्मियों में लागू नहीं है।
- (3) दिनांक 1.11.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के उपबंध लागू नहीं होंगे।
- (4) इस योजना में कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता के योग का 10% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा करेगा तथा शासन भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि नियोजक हिस्से के रूप में जमा करेगी।
- (5) इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक स्थाई रिटायरमेंट खाता क्रमांक आवंटित होगा। यह खाता क्रमांक नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (NSDL) द्वारा आवंटित किया जावेगा।
- (6) प्रत्येक शासकीय सेवक सेवा में प्रविष्ट होते ही प्ररूप 1 में स्वयं से सम्बंधित जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख को देंगे।
- (7) स्थाई रिटायरमेंट खाता (Permanent Retirement Account Number) नम्बर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा लिखित में सम्बंधित कर्मचारी को दिया जावेगा तथा यह उसके सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी जावेगी।
- (8) यह स्थाई रिटायरमेंट खाता क्रमांक पूरे सेवाकाल के लिए एक ही होगा, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में पदस्थ हो जावे अथवा अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर पदस्थ होने पर भी।
- (9) इस योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों का वेतन देयक पृथक से तैयार होगा। इस वेतन देयक के साथ कटौतियाँ तीन प्रतियों में संलग्न करना होगा।
- (10) जो कर्मचारी बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, उसका मासिक अंशदान तथा

660 | छत्तीसगढ़ ऑफिस मैनुअल हैण्डबुक

नियोक्ता का अंशदान चालान द्वारा कोषालय अथवा बैंक में जमा किया जा सकता है। उसके साथ ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा मूल विभाग को भी भेजा जा सकता है।

2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—

(1) शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र-1 में भरवाने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

(2) प्रपत्र-3 में जानकारी प्रेषित कर केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (NSDL) से पंजीकरण करना।

(3) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी से स्थाई रिटायरमेंट खाता क्रमांक प्राप्त करने हेतु कर्मचारी से प्राप्त प्रपत्र-1 में जानकारी संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजना।

(4) स्थाई रिटायरमेंट खाता क्रमांक की प्रविष्टि वेतन देयक पंजी एवं सेवा पुस्तिका में कराना।

(5) प्ररूप-5 में एक लेजर का संधारण करना। इसमें प्रतिमाह वेतन से किए जाने वाले अंशदान की प्रविष्टि करना।

(6) वार्षिक लेखा पर्ची प्राप्त होने पर कटौतियों का मिलान इस पंजी से करना।

3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था हेतु राज्य शासन के निर्देश—

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वन हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2004 से 2009 तक भिन्न-भिन्न निर्देश जारी किया गया है, जिसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

(1) पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना करते हुए स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड को कस्टोडियन नियुक्त किया गया है। पेंशन फण्ड मैनेजर के रूप में एस.वी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट साल्यूशन लि. तथा एल.आइ.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

(2) बैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक नियुक्त किया गया है जिसका मुख्य दायित्व योजना की राशि का सही समय में संग्रहण एवं प्रेषण होगा।

(3) पेंशन फण्ड मैनेजरों द्वारा खाताधारियों की राशि पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए शासकीय प्रतिभूतियों एवं इक्विटी में विनियोजित किया जावेगा, जिस पर कस्टोडियन का नियंत्रण होगा।

(4) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी को सी.आर.ए. नियुक्त किए जाने से स्थाई रिटायरमेंट एकाउन्ट नम्बर (PRAN) इस एजेंसी द्वारा ही जारी किया जावेगा। चूँकि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन तथा केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित हो चुका है अतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के मध्य से शासकीयसेवक की जानकारी प्रस्तुत करने के एक माह में पंजीयन पूर्ण लिया

जाना चाहिए।

- (5) दिनांक 1.1.2009 से PRAN प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 में शासकीय सेवक अपनी जानकारी तीन प्रतियों में आहरण एवं संवितरक के माध्यम से संचालक कोष एवं लेखा तथा पेंशन को प्रेषित करेगा। संचालक उसे PRAN हेतु केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को प्रेषित करेगा। केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी, स्थाई रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर का आवंटन कर तत्काल उसकी सूचना नोडल अधिकारी (संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन) को देगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा सम्बंधित आहरण एवं संवितरक अधिकारी को प्रेषित कर दिया जावेगा।
- (6) दिसम्बर 2008 तक संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आवंटित एवं जारी अस्थाई पेंशन लेखा क्रमांक (PPAN) को केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को प्रेषित कर इसके आधार पर PRAN जारी करने की कार्यवाही करेगा।
- (7) बिना PRAN के बिल कोषालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिन शासकीय सेवकों को 31.12.2008 तक आवंटित PPAN नम्बर के स्थान पर PRAN आवंटित किया जाना है, वे अपनी जानकारी प्रपत्र-1 में नोडल अधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को भेजेंगे।
- (8) दिनांक 1.1.2009 से प्रस्तुत होने वाले देयकों में PRAN अंकित करने के लिए एन.आइ.सी. के सहयोग से संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन पृथक् से एक साफ्टवेयर तैयार करेगा और उसकी सूचना समस्त कोषालय अधिकारियों एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को देगा।
- (9) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि को वर्तमान में पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण द्वारा तय की गई डिफाल्टर स्कीम में निवेश किया जावेगा तथा उस पर प्राप्त व्याप्त/लाभांश सम्बंधित शासकीय सेवक के खाते में जमा किया जावेगा।
- (10) जमा राशि के निवेश हेतु भविष्य में तीन विकल्पों की सुविधा दी जावेगी, जिसमें निश्चित आय वर्ग तथा इक्विटी में अलग-अलग निवेश की सुविधा होगी। अंशदाता अपनी इच्छानुसार स्कीम का चयन कर उसमें निवेश की जाने वाली राशि को प्रतिशत में उल्लेख कर सकता है। स्कीम का चयन करने हेतु सभी अंशदाता को यूजर कोड एवं पासवर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11) सर्वर पर अपलोड करने का कार्य यथावत् पूर्ववत् ही रहेगा। इसका मासिक लेखा 5 तारीख तक अवश्य भेजे जावेंगे। जिन अंशदाओं का अंशदान चालान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संचालनालय भेजा जाता है वहाँ भी यह सुनिश्चित किया जावे कि चालान एवं ड्राफ्ट 5 तारीख तक संचालनालय में अवश्य मिल जावें।
- (12) मासिक लेखा संकलन के बाद नोडल अधिकारी द्वारा शासकीय सेवकों को अंशदान की राशि का आहरण भाग-तीन-लोक लेखा “(ट) जमा और अग्रिम

(क) ब्याज जमा राशियाँ मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा [117] शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (6803) टी पर के अंतर्गत शासकी सेवक का अंशदान" से किया जावेगा तथा उसके बराबर की शासकीय अंशदान की राशि " माँग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, उपमुख्य शीर्ष [01] सिविल, लघु शीर्ष [117] परिभाषित अंशदान, पेंशन प्रयोजन हेतु शासकीय अंशदान, योजना क्रमांक (6801) राज्य शासन का अंशदान # 12-पेंशन एवं हित लाभ, 003 अन्य भुगतान" से किया जावेगा।

(13) इसके बाद आहरित राशि ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को 25 तारीख तक सौंप दी जावेगी, ट्रस्टी बैंक द्वारा समय सीमा में उक्त राशि निर्धारित फण्ड मैनेजर्स को उपलब्ध कराई जावेगी।

(14) राशि का प्रबंधन ट्रस्टी बैंक तथा फण्ड मैनेजर्स द्वारा किया जावेगा और निवेश राशि पर अर्जित ब्याज अंशदाते के खाते में जमा की जावेगी।

टिप्पणी—उपरोक्त निर्देश निम्न परिपत्रों द्वारा जारी किए गए हैं—

- (1) वित्त विभाग क्र. 41/2004 क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/2009, दिनांक 27.4.2004
- (2) वित्त विभाग क्र. 5/2006 क्र. 31/सी-2742/वि/नि/चार/2006, दिनांक 1.2.2006
- (3) वित्त विभाग क्र. 31/2006 क्र. 312/सी-2742/वि/नि/चार/2006, दिनांक 20.9.2006
- (4) वित्त विभाग क्र. 18/2007 क्र. 108/24/वि/नि/चार/2007, दिनांक 5.5.2007
- (5) वित्त विभाग क्र. 46/2007 क्र. 294/260/वि/नि/चार/2007, दिनांक 11.10.2007.

4. नवीन अंशदायी योजना के अधीन सेवा के दौरान मृत्यु होने अथवा बीमारी के कारणों के आधार पर असमर्थता पेंशन सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें या उनके परिवार जन को सेवानिवृत्ति हित लाभ की पात्रता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3/2009 वित्त/योजना विभाग क्रमांक 57/02/वित्त/स्था./चार/2009, दिनांक 22.1.2009 द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के शासकीय सेवक की आकस्मिक मृत्यु होने अथवा सेवा छोड़ने की दशा में लागू होने वाले प्रावधान के सम्बंध में सूचना पृथक से जारी किए जावेंगे तब तक कर्मचारी के सी.पी.एस. खाते से भुगतान लम्बित रखा गया है।

(2) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ देने हेतु केन्द्र शासन द्वारा उच्चस्तरीय कार्यकाल गठित किया गया था, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता/असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के कारण सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में अतिरक्त लाभ देने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा के आधार पर शासकीय मृत्यु या अक्षमता के कारण पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशन लाभ देने हेतु एक अंतरिम (Provisional) आदेश जारी किए गए हैं।

(3) केन्द्र शासन के अंतरिम आदेश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता/असमर्थता के कारण शासकीय

04

स्टाफ रूम





02

स्थापना/लेखा शाखा













शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in/>

AISHE CODE - C-9695

Report of Teachers participation in National/ international Seminars / webinars/workshop
/FDP/orientation/Refresher Course

Sl. No.	Name of teaching and non teaching staff	Title of the program	Name of institute where FDP was conducted	Dates (from-to)	Purpose	Outcomes
01	Dr. Ajay Kumar Soni (Asst. Professor)	UGC- Sponsored Refresher course	Guru Ghasidas vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	16.07.2018 To 08.08.2018	Refresher Course	Refresher Course
02	Ku. Hemlata Sahu	Handling workplace challenges in present educational paradigm	Shaildevi Mahavidyalaya Anda, Durg Chhattisgarh	10.05.2021 To 16.05.2021	To knowledge about all chalanges in educational paradigm	After Completion of Seven days FDP i can understand about how to handle the work load in present in educational paradigm.


IQAC Incharge
IQAC Co-ordinator


PRINCIPAL
Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh, Chhatisgarh, Bharatpur (C.G.)
Principal



शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in/>

AISHE CODE - C-9695

List of Workshop/Seminars/Conferences/FDPs/Orientation/Refresher Program attended by the teachers:

Sl. No.	Name of Programme	Organizing Unit/Institution	Name of Teacher	Dates (from-to)
01	भारीतीय ज्ञान परम्परा योग एवं आयुर्वेद	गुरु घासीदास वि.वि. बिलासपुर	डॉ. अजय कुमार सोनी	15.10.2017 से 17.10.2017
02	धर्म एवं संस्कृति	पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त वि.वि.	डॉ. अजय कुमार सोनी	18.11.2017 से 20.11.2017
03	छत्तीसगढ़ संस्कृति का स्वरूप	शा. महाविद्यालय सरिया, रायगढ़	डॉ. अजय कुमार सोनी	14-12-2018
04	जनजातीय परम्परागत राजनीतिक संस्थाएं	शा. राजमोहिनी देवी कन्या स्ना. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	डॉ. अजय कुमार सोनी	08-11-2019 से 09.11.2019
05	Migrant labourers Rural Economy: Challenges and Opportunities	शा. राजमोहिनी देवी कन्या स्ना. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	डॉ. अजय कुमार सोनी	30-06-2020

01	National workshop on intellectual Property Rights	Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg	Hemlata Sahu	03.05.2021 To 09.05.2021
02	National workshop on Reseach Methodology	Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg	Hemlata Sahu	24.05.2021 To 30.05.2021
03	PHD Course work	Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg	Hemlata Sahu	21.04.2021 To 30.04.2021
04	National workshop on Human rights	Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg	Hemlata Sahu	25.05.2021 To 31.05.2021
05	International Politics	Shri Shankracharya Mahavidyalaya Bhilai	Hemlata Sahu	16.06.2021

01	छत्तीसगढ़ लोकगीतों में प्रकृति	प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था, उज्जैन	कु. वर्षा तिवारी	14.09.2019 से 15.09.2019
02	प्रेमचंद के साहित्य में दलित सरोकार	शा. कला महाविद्यालय बयाड़, जिला-अरावली	कु. वर्षा तिवारी	20.06.2020
03	भारतीय संस्कृति से परास्त होता कोरोना	भगवंत वि.वि. अजमेर	कु. वर्षा तिवारी	27.05.2020 से 28.05.2020
04	प्रेमचंद और हमारा समय	अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर. (छ.ग.)	कु. वर्षा तिवारी	31.07.2020
05	AN Insight in Naac Revised Guidelines	G.I. Bagewadi Arts ,Commerce & Science College Nipani Karnataka	कु. वर्षा तिवारी	04.09.2021 से 05.09.2021


IQAC Incharge
IQAC Co-ordinator


PRINCIPAL
 Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
 Dist-Manendrasaheb, Chitmiri, Bharatpur (C.G.)
Principal

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA
BILASPUR (C.G.) INDIA - 495009



(A Central University Established Under the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

UGC-SPONSORED REFRESHER COURSE

CERTIFICATE


This is to certify that *Dr. Ajay Kumar Soni, Assistant Professor, Govt. Naveen College Khadgawan (Korea) (C.G.)* affiliated to *Sarguja University, Ambikapur (C.G.)* participated in the Refresher Course in the Subject *Political Science* from *16/07/2018 to 08/08/2018* and obtained Grade*A*.....


Director

Self Attested



Course Coordinator

Attested

सहायक प्राध्यापक
शासकीय नवीन महाविद्यालय
खडगवां, जिला-कोरिया (छ.ग.)


Vice-Chancellor



SHAILDEVI MAHAVIDYALAYA

Anda, Durg, Chhattisgarh, Pin - 491221

Recognised by NCTE New Delhi & Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg (C.G.)

www.shaildevi.com | shaildevicollege@gmail.com

Seven Day's National Faculty Development Programme

On

Handling Workplace Challenges In Present Educational Paradigm

Certificate



This is to certify that Dr./Mr./Mrs./Ms. **Hemlata** of
Govt. V.Y.T.P.G. College Durg

has Participated in the National Webinar on **"Seven Day's National Faculty Development Programme"**
Organised By, Shaildevi Mahavidyalaya, Anda, Durg (C.G.) Under by Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
on 10TH May to 16TH May 2021.

(Mr. Rajan Kumar Dubey)
Chairman
Shaildevi Educational Society

(Dr. Rakesh Dubey)
Director
Shaildevi Mahavidyalaya

(Mrs. Namita Dubey)
Co Convener

(Dr. Suman Baliyan)
Principal

Certificate ID: COMM4274

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Government R.M.D. Girls P.G. College

Accredited B+ by NAAC

Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh

(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja, Ambikapur)

This certificate is being presented to

Dr. Ajay Kumar Soni

Assistant Professor

of Govt. Maa Mahamaya college khadgawan, Distt.-Korea (C.G.)


for participating in the online National Webinar on

“MIGRANT LABOURERS AND RURAL ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES”

Organized by Department of Commerce,

Government R.M.D. Girls P.G. College, Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh

on Tuesday, June 30, 2020 at 11:00 AM.



Dr. Anand Kumar

Convener

Assistant Professor & Head
Department of Commerce

Govt. R.M.D. Girls P.G. College
Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh



Dr. Hira Prasad Yadav

Organising Secretary


Assistant Professor

Department of Commerce

Govt. R.M.D. Girls P.G. College

Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh

Self Attested



Dr. Jyoti Sinha

Principal

Govt. R.M.D. Girls P.G. College
Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh

NATIONAL SEMINAR

On
Social, Economic and Political Inclusion of Tribal in the Contemporary India
Issues and Challenges
8 & 9 November 2019



GOVT. RAJMOHINI DEVI GIRLS P.G. COLLEGE
Ambikapur (Surguja) Chhattisgarh
INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH (ICSSR)
New Delhi, India



Indian Council of
Social Science Research

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms./Mrs ... अजय कुमार सोनी

Designation सहा. प्राध्य. (राजनीति विज्ञान) of शा. माँ. महामाया महाविद्यालय खड़गवां जिना - कोरिया (छ.ग.)

has participated in the National Seminar on "Social, Economic and Political Inclusion of Tribal in the Contemporary India

Issues and Challenges" organized by the Department of Political Science, Govt. RMD Girls PG College, Ambikapur (Surguj

Chhattisgarh, Sponsored by ICSSR, New Delhi during 8 - 9 November 2019. He/She has delivered an invited lecture as

Resource Person/presented a Research Paper entitled ... जनजातीय परम्परागत राजनीतिक संस्थाएं


Dr. Akhilesh Kumar Dwivedi
Convener


Mr. Jitendra Kumar Gupta
Organising Secretary


Dr. (Smt.) Jyoti Sinha
Patron/Principal



Hosted by
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Bilaspur (C.G.)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BHARAT REJUVENATION

(From Glorious Past to the Modern Era)

भारत नवोन्मेष
(वेभवशाली अतीत से आधुनिक अभ्युदय तक)
ICBR 2017

15th - 17th October, 2017



In association with:
Bhartiya Shikshan Mandal
Nagpur (M.H.)

Certificate

This is to certify that Professor/ Dr./Mr./Ms.

Ajay Kumar Soni

1) भारतीय ज्ञान परम्परा : योग एवं आयुर्वेद

chaired a session/delivered an invited talk/presented a paper(oral/poster)/displayed a model (working/non-working) /participated in the international conference "Bharat Rejuvenation: From Glorious Past to the Modern Era" organized by Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) in association with Bhartiya Shikshan Mandal, Nagpur (M.H.).

Dr. M.N. Tripathi

Dr. M.N. Tripathi
Organising Secretary

Prof. V.S. Rathore

Prof. V.S. Rathore
Academic Coordinator

Prof. B.N. Tiwary

Prof. B.N. Tiwary
Convener

Prof. Anjila Gupta

Prof. Anjila Gupta
Vice-Chancellor

In Collaboration with



INDIAN COUNCIL OF
SOCIAL SCIENCE RESEARCH



Indian Council of
Social Science Research



INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
RAIPUR

IIM
RAIPUR

Self Attested
Ajay



पण्डित मुद्दलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

शाश्वत भारत

विषय पर तीन दिवसीय

ICSSR राष्ट्रीय-संगोष्ठी

(सहयोग : संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)

18-20 नवम्बर, 2017

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **डॉ. अजय कुमार सोनी** (सह. अध्यक्ष) संस्था **शास्. नवीन महविद्यालय**, खड़गवां, जिला- कोरिया (द.ग.) ने दिनांक 18.11.2017 से 20.11.2017 तक 'शाश्वत भारत' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता की / अपना शोध-आलेख प्रस्तुत किया।

प्रतिपादित विषय : "धर्म एवं संस्कृति"

R. W. Sahu
डॉ. राजकुमार सचदेव
कुलसचिव

Self Attested
Asus

बंश गोपाल सिंह
डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति



NATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH SEMINAR



GOVT. COLLEGE SARIA, DISTT - RAIGARH (C.G.)

(Folk Culture in Chhattisgarh)

“छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति”

14 Dec. 2018

CERTIFICATE

This is to certify that prof./Mr./Ms./Mrs./Dr. Ajay Kumar Soni
Class/Designation Asst. Prof. institution Govt. MM College Khadagwan, Konia
participated in National interdisciplinary Research Seminar on “Folk Culture in Chhattisgarh” as participant
/paper Presenter/ resource person/ chairperson/ co-chairperson/ expert/ Rapporteur/ Member of Organizing
committee.

He/She presented the ‘paper’/ invited Talk on “छत्तीसगढ़ संस्कृति का स्वरूप”

Pramila
Smt. Pramila Patel
Head Dept.of Hindi
Convener of the
National Research seminar

[Signature]
सहायक प्राध्यापक
शासरो नौ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय
खडगवा, जिला कोरवा, छत्तीसगढ़

[Signature]
Dr. J. Soni
Principal & Patron
National Research Seminar



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
पीएच डी कोर्स वर्क से संबंधित पाठ्यक्रम पर केंद्रित १० दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला
दिनांक २१ अप्रैल २०२१ से ३० अप्रैल २०२१



उत्कृष्टता प्रमाण पत्र
Certificate of Excellence

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती /कु. Hemlata शोध छात्र /छात्रा Geography विषय, Govt.v.y.t.auto.college durg ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय , दुर्ग (छ.ग.) द्वारा दिनांक २१ अप्रैल २०२१ से ३० अप्रैल २०२१ पीएच.डी. कोर्स वर्क से संबंधित पाठ्यक्रम पर केंद्रित १० दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के समाप्ति के पश्चात कार्यशाला के व्याख्यानो पर केंद्रित ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सफलता प्राप्त की ।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय , दुर्ग इन्हें बधाई सहित सुखद भविष्य की मंगलकामना करता है।

Dr. Prashant Shrivastava
Dean, Student Welfare

Dr. C.L. Dewangan
Registrar

Dr. Aruna Palta
Vice Chancellor



GOVT. V.Y.T. PG AUTONOMOUS COLLEGE DURG CHHATTISGARH

Reaccredited with Grade A+ by NAAC ,Bengaluru
Affiliated to Hemchand Yadav University , Durg



Certificate of Participation

This certificate is awarded to

HEMLATA

GOVT.V.Y.T.P.G.AUTO.COLLEGE DURG (C.G.)

Has participated in

National workshop on Human Rights

*Organized from 25/05/2021 to 31/05/2021 by the Department of Political Science
under the aegis of IQAC GOVT. V.Y.T. PG AUTONOMOUS COLLEGE DURG (C.G.)*

Thank You for your contribution towards making the event a success

Dr. Shakeel Husain

Convener & Organizing Secretary

Dr. R.N. Singh

Principal & Patron



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
पीएच डी कोर्स वर्क से संबंधित पाठ्यक्रम पर केंद्रित १० दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला
दिनांक २१ अप्रैल २०२१ से ३० अप्रैल २०२१



उत्कृष्टता प्रमाण पत्र
Certificate of Excellence

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती /कु. Hemlata शोध छात्र /छात्रा Geography विषय, Govt.v.y.t.auto.college durg ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय , दुर्ग (छ.ग.) द्वारा दिनांक २१ अप्रैल २०२१ से ३० अप्रैल २०२१ पीएच.डी. कोर्स वर्क से संबंधित पाठ्यक्रम पर केंद्रित १० दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के समाप्ति के पश्चात कार्यशाला के व्याख्यानों पर केंद्रित ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सफलता प्राप्त की।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय , दुर्ग इन्हें बधाई सहित सुखद भविष्य की मंगलकामना करता है।

Dr. Prashant Shrivastava
Dean, Student Welfare

Dr. C.L. Dewangan
Registrar

Dr. Aruna Palta
Vice Chancellor



GOVT. V.Y.T. PG AUTONOMOUS COLLEGE, DURG, CHHATTISGARH, INDIA

(Erstwhile: Govt. Arts & Science College, Durg)

Reaccredited Grade "A+" By NAAC

College with Potential for Excellence (CPE) Phase- III By UGC

Awarded Star College by DBT, New Delhi



Certificate of Participation

This is to certify that

Hemlata

Govt.V.Y.T.Auto.College Durg

has participated in the

National Workshop On Intellectual Property Rights

from 03/5/2021 to 09/5/2021, organised by the Department of Biotechnology and Internal Quality Assurance Cell of Govt. V.Y.T. PG. Autonomous College, Durg in collaboration with Coordination Cell of Chhattisgarh Council of Science & Technology, Raipur, C.G.

We wish you success in your future endeavors.

Prof. R.N. Singh
Patron
Principal

Prof. Jagjeet Kaur
Saluja
Chairperson

Prof. Ajay Kumar
Singh
Organizing Secretary

Prof. Anil Kumar
Convener



GOVT. V.Y.T. PG AUTONOMOUS COLLEGE DURG CHHATTISGARH

Reaccredited with Grade A+ by NAAC ,Bengaluru
Affiliated to Hemchand Yadav University , Durg



Certificate of Participation

This certificate is awarded to

HEMLATA

GOVT.V.Y.T.P.G.COLLEGE DURG(C.G.)

Has participated in

National workshop on Research methodology

*Organized from 24/05/2021 to 30/05/2021 by the Department of Political Science
under the aegis of IQAC GOVT. V.Y.T. PG AUTONOMOUS COLLEGE DURG (C.G.)*

Thank You for your contribution towards making the event a success

Dr. Rajendra Choubey
Convener

Dr. Shakeel Husain
Organizing Secretary

Dr. R.N. Singh
Principal & Patron



SHRI SHANKARACHARYA MAHAVIDYALAYA

Junwani Bhilai

NAAC Reaccredited with "A" Grade

(Recognized by Govt. of C.G. & UGC u/s 2(f) and 12(B) of the UGC Act, 1956 Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg C.G. India)

One day National Webinar

on

"International Politics"

CERTIFICATE

This Certificate of Participation is awarded to HEMLATA from
GOVT.V.Y.TP.G.AUTO.COLLEGE DURG(C.G.) for being a virtual participant in One
day National Webinar of "International Politics" on 16th June, 2021.

Director & Principal
Dr. Raksha Singh

Addl. Director
Dr. J. Durga Prasad Rao

Convener
Mr. Ashish Singh

Organized by
Department of Political Science, Shri Shankaracharya Mahavidy

Made for free with Certify'em



SHAILDEVI MAHAVIDYALAYA

Anda, Durg, Chhattisgarh, Pin - 491221

Recognised by NCTE New Delhi & Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg (C.G.)

www.shaildevi.com | shaildevicollege@gmail.com

Seven Day's National Faculty Development Programme
On
Handling Workplace Challenges In Present Educational Paradigm

Certificate



This is to certify that Dr/Mr/Mrs/Ms. Hemlata of
Govt.V.Y.T.P.G.College Durg

has Participated in the National Webinar on "Seven Day's National Faculty Development Programme"
Organised By, Shaildevi Mahavidyalaya, Anda, Durg (C.G.) Under by Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
on 10TH May to 16TH May 2021.

(Mr. Rajan Kumar Dubey)
Chairman
Shaildevi Educational Society

(Dr. Rakesh Dubey)
Director
Shaildevi Mahavidyalaya

(Mrs. Namita Dubey)
Co Convener

(Dr. Suman Baliyan)
Principal



प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था, उज्जैन

विशेष सहयोग

- संस्कृति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली • संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली,
- दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर • उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
- संस्कृति संचालनालय, म.प्र. शासन भोपाल

अखिल भारतीय



संजा लोकोत्सव

मालवी पारंपरिक लोककलाओं एवं संस्कृति का पर्व

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

लोक और जनजातीय साहित्य एवं संस्कृति और हिन्दी : सरोकार और संबन्धनाएँ

14-15 सितम्बर 2019

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि


श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ. ~~वर्षा तिवारी एम.फिल., हिन्दी~~

~~अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, नीवा (म.प्र.)~~

ने संजा लोकोत्सव के अंतर्गत आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में

~~“चत्तीसगढ़ी लोकगीतों में प्रकृति”~~

पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया/अध्यक्षीय वक्तव्य/व्याख्यान, दिया


डॉ. रमेश कुमार शर्मा
मुख्य समन्वयक


कुमार किरान
सचिव


गुलाबसिंह यादव
अध्यक्ष

कुलानुरासक विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन

प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था

प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था

कार्यालय -

8, आशा भवन, विश्व विद्यालय मार्ग, शिवा होटल के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन

Web. www.pratikalpa.com, Email pratikalpaujjain@gmail.com Mob. : 94071-26842



GOVERNMENT ARTS COLLEGE, BAYAD



E-Certificate for Participation in National Webinar

This is to certify that **Varsha tiwari** had participated in national webinar entitled “**प्रेमचंद के साहित्य में दलित सरोकार**” held on 20th june, 2020. The webinar was organized by Hindi dept. Government Arts College, Bayad Dist- Aravalli.

Dr. Indubala H. Gadhavi
Event Coordinator
Government arts college, bayad

Dr. Kiran Dodiya
H.O.D. Hindi Dept.
Government arts college, Bayad

Dr. Shailesh Bhavsar
Principal
Government arts college, Bayad



Bhagwant University, Ajmer

Established by Government of Rajasthan and approved by UGC, as per section 2f of UGC Act 1956. It is a JEE listed university & is a member of IAU, FICCI, AIMA, IAP. It is also a ISO-9001 certified University.

दो दिवसीय मल्टी डिसिप्लिनरी अंतराष्ट्रीय वेबिनार

“भारतीय संस्कृति से परास्त होता कोरोना”

27 और 28 मई, 2020

Certificate of Appreciation

This is to certify that

प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

मुख्य अतिथि

Two days International webinar held at Bhagwant University, Ajmer

We wish that you will gain new heights in your personal and professional life.

R. K. Mathur

प्रो. आर. के. माथुर
डीन इंटरनेशनल
भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर

पुष्पिता अवस्थी

डॉ. पुष्पिता अवस्थी
अप्रवासी विदुषी, लेखिका
नीदरलैंड

संदीप अवस्थी

डॉ. सन्दीप अवस्थी (संयोजक)
अध्यक्ष, भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र
शोध निदेशक, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं



हिन्दी विभाग, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, कोरबा, छत्तीसगढ़
के संयुक्त तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन वेब संगोष्ठी



'प्रेमचंद और हमारा समय'

31 जुलाई 2020

सहभागिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु./प्रो./डॉ. वर्षा तिवारी ने हिन्दी विभाग, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, कोरबा (छत्तीसगढ़) द्वारा आधुनिक भारत के शीर्षस्थ हिन्दी कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की 140 वीं जयंती समारोह के अवसर पर 'प्रेमचंद और हमारा समय' विषय पर 31 जुलाई 2020 को आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन वेब संगोष्ठी में सक्रियता पूर्वक भाग लिया।

Date: 1-8-2020

ID:LRWQX4-CE000111

डॉ शिवदयाल पटेल
संयोजक/ विभागाध्यक्ष हिन्दी

डॉ ए.पी.वर्मा
प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बरपाली

प्रो.जी.डी.शर्मा
कुलपति, अंबिवाविवि, बिलासपुर



K.L.E. Society's
G.I.Bagewadi Arts, Science & Commerce College, Nipani- 591237 Karnataka
Accredited at 'A' level by NAAC with CGPA 3.35

IQAC INITIATIVE
Two Day National Webinar
On

"AN INSIGHT IN NAAC REVISED GUIDELINES"

CERTIFICATE

This is to certify that **Varsha tiwari** of Apsu rewa has participated in the National Webinar on '**AN INSIGHT IN NAAC REVISED GUIDELINES**' Organized by IQAC on 4th & 5th August 2020

DR. (Smt) M. M. SHANKRIKOPPA
Co-convener

DR. B. S. KAMBLE
IQAC Coordinator

DR. R. G. KHARABE
Vice Principal

DR. M. M. HURALI
Principal

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर (छ.ग.)

(फोन नं.- 0771-2636413, फ़ैक्स नं. - 0771-2263412)

(www.highereducation.cg.gov.in, email Id- che-higheredu.cg@gov.in)

पत्र क्र. 379 / 94 / आउशि / गो.प्र. / 2021
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 5 / 14 / 2021

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय:- 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भ:- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर का पत्र
क्रमांक- 8215 / 183 / 2016 / 38-1 दिनांक 27.10.2018।


—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा क्षेत्रीय अपर संचालकों को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। तदानुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत स्नातक प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, कीडा अधिकारी एवं रजिस्ट्रार की 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि की गोपनीय चरित्रावली एक सप्ताह के अंदर प्राचार्य अपने संभाग के क्षेत्रीय अपर संचालक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा स्नातकोत्तर प्राचार्य अपना गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

गोपनीय चरित्रावली के साथ कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) प्रपत्र एवं चल-अचल संपत्ति (31 दिसंबर 2020 की स्थिति में) का ब्यौरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रायः देखा गया है कि प्रपत्र में सभी कालमों की पूर्ति नहीं की जाती है, विषय एवं महाविद्यालय का नाम उल्लेख नहीं करते हैं, जिसके कारण गोपनीय चरित्रावली संधारित करने में अत्यधिक असुविधा होती है। अतः विषय एवं महाविद्यालय का नाम उल्लेख अनिवार्य रूप से करें, साथ में संलग्न प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सभी कार्यरत अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन भेज दिये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

संलग्न:- प्रपत्र।



अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.

पृ.क्रमांक 389 / 94 / आउशि / गो.प्र. / 2021

अटल नगर, दिनांक 5 / 14 / 2021

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग कृपया मतांकन उपरांत समस्त गोपनीय प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

प्रारूप – महाविद्यालय में पदस्थ ऐसे सहायक प्राध्यापक जो 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो कि जानकारी –

क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	वरिष्ठ श्रेणी में स्थानन दिनांक	प्रवर श्रेणी में स्थानन दिनांक	37400–67000 / – ए.जी.पी. 9000 वेतनमान में स्थानन दिनांक	9000 एजीपी में 03 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	रिमार्क

इस प्रारूप के साथ निम्नानुसार बिन्दुओं में दर्शाये गये प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

1. विभागीय जांच एवं न्यायालय में अभियोजन प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।
2. सनिष्ठा प्रमाण पत्र।
3. वर्ष 2015 से 2019 तक का वर्षवार अलग-अलग चल अचल संपत्ति विवरण प्रपत्र।
4. सतत् सेवा प्रमाण पत्र।

प्राचार्य के हस्ताक्षर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक- 877/09 /आउशि/अराज.स्था./2021

अटल नगर, दिनांक 27/08/2021

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय: - कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भरकर संबंधित अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. समग्र मूल्यांकन (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया) स्पष्ट अंकित करें एवं गोपनीय प्रतिवेदन में चिन्हांकित भी करें।
2. कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीकाओं से नियमानुसार (1 माह भीतर) कर्मचारी को संसूचित करना अनिवार्य है एवं उनके विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निराकरण के संबंध में दिये गये शासन-आदेशों का अत्यन्त दृढ़ता से पालन किया जाये।
3. गोपनीय चरित्रावली का वर्ष स्पष्ट अंकित करें।
4. मतांकन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, सील अंकित किया जावे।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)

(डॉ. एच.पी. खैरवार)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

पृ. कमांक- 878-09 /आउशि/अराज.स्था./2021
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 27/08/2021

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा के शीघ्रलेखक, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा समस्त क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

गोपनीय प्रतिवेदन (CONFIDENTIAL REPORTS)

1. सामान्य निर्देश

(1) पुस्तक परिपत्र भाग एक क्रमांक 7 में दिये गए निर्देशों के अनुसार गोपनीय प्रतिवेदन अत्यन्त सावधानी से लिखे जाना चाहिये क्योंकि उस पर अधिकारी का बहुधा भविष्य निर्भर रहता है। रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपर्याप्त सामग्री या सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अस्पष्ट टिप्पणियाँ और मत देना या निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिये। इस बात की सावधानी भी रखना चाहिये कि व्यक्तिगत रुचियों या अरुचियों को स्थान न मिल सके।

(2) प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने नियंत्रण के अधीन लोगों के कार्य व आचरण का सावधानीपूर्वक सतत् अवलोकन करें। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऐसे अवलोकनों और नियतकालिक निरीक्षण के परिणामों तथा अधिकारी के ऐसे कार्यों पर आधारित होनी चाहिये जो उसकी दृष्टि में आयें। यदि इसके बावजूद भी वह यह आवश्यक समझे कि किसी अधीनस्थ प्राधिकारी की राय आवश्यक है तो वह उसे गोपनीय रूप में मंगा सकता है। किन्तु गोपनीय रिपोर्ट उसके द्वारा ही पूर्ण जिम्मेदारी के साथ लिखी जानी चाहिए।

(3) गोपनीय प्रतिवेदन के लिखने से किसी अधिकारी को यह दिखाने का अवसर मिलता है कि वह सतर्क पर्यवेक्षक है और उसमें चरित्र का सही-सही मूल्यांकन करने की क्षमता है।

(4) किसी भी रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपने किसी निकट संबंधी के कार्य पर अपनी राय नहीं देनी चाहिये।

(5) प्रतिवेदन में सामान्यतः इस विषय में राय व्यक्त की जानी चाहिये कि सम्बन्धित अवधि के दौरान अधिकारी ने अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन किस प्रकार किया है और इसमें उसके व्यक्तित्व, चरित्र और योग्यताओं का मूल्यांकन होना चाहिये।

(6) अतिगुप्त, गुप्त शाखाओं आदि के कार्य करने वाले या प्रभार धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखते समय, विशेषकर विभागीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले में उनकी विश्वसनीयता का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

(7) साधारणतः उस अधिकारी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी, जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रभार में तीन माह से कम समय तक काम किया है क्योंकि हो सकता है कि इतनी अल्पावधि में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपने अधीनस्थ के कार्य का अवलोकन करने का पर्याप्त अवसर न मिल सके।

(8) यदि अधिकारी वित्तीय वर्ष में तीन महीने से अधिक समय तक किसी भी कार्य के प्रभार में न रहा हो तो उसकी रिपोर्ट उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखी जायेगी जिसके अधीन वित्तीय वर्ष में उसने अधिकतम अवधि तक कार्य किया हो।

(9) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 333/1040/1 (3)/80, दिनांक 4-8-1980 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को उच्च पद के चालू कार्यभार संभालने के लिए अधिकृत किया जाता है तो वह अपने मूल पद के समकक्ष पदों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में टीका

अंकित नहीं कर सकता, किन्तु अपने अधीनस्थ अधिकारियों की चरित्रावली लिखने के लिए सज्ज रहेंगे।

(10) राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाने पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपना अभिमत अंकित कर सकेंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 5-1/2003/1/6, दिनांक 20-2-2003]

(11) निलम्बित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन- वर्तमान में निलम्बित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। गोपनीय चरित्रावली में शासकीय सेवकों के द्वारा पूरे वर्ष में किये गए कार्य का समग्र मूल्यांकन के आधार पर उनके कार्यों के संबंध में टीप अंकित की जाती है। निलम्बित शासकीय सेवकों द्वारा निलम्बित अवधि में कोई कार्य नहीं किया जाता है। अतः निलम्बित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में सामान्य 'कोई टीप नहीं' अंकित किया जाता है। अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निलम्बित शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय संबंधित अधिकारी द्वारा इस आशय का मतांकन किया जाना चाहिए कि निलम्बित शासकीय सेवक निलम्बन की अवधि में बिना अनुमति अनुपस्थित तो नहीं रहा है, तथा उसके द्वारा कोई व्यवसाय, नौकरी आदि तो नहीं की जा रही है। यदि उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है तो इस संबंध में टीप दी जाये कि उसके द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

[सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञाप क्रमांक 447/2223/98/1/9, दिनांक 9-3-1998]

2. गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की अवधि

(1) शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में गोपनीय प्रतिवेदन उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रथम वित्तीय वर्ष के लिये लिखे जाना चाहिये।

(2) परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों के सम्बन्ध में उनकी सम्पूर्ण परिवीक्षा अवधि के दौरान जब तक कि उन्हें स्थाई न कर दिया जाये, अर्धवार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना चाहिये।

(3) समस्त अस्थाई शासकीय कर्मचारियों के मामले में भी शासकीय सेवा में उनकी प्रथम नियुक्ति में प्रथम दो वित्तीय वर्षों तक अर्धवार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना चाहिये।

3. गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे वह धटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों, उन्हें संबंधित को संसूचित किया जावे। यदि कोई शासकीय सेवक अपनी श्रेणी से या टीकाओं से संतुष्ट नहीं हो तो वह पूर्व की भांति जिस प्रकार प्रतिकूल टीका सूचित किये जाने पर अभ्यावेदन देता है, उसी प्रकार उन्हें अपग्रेड कराने के लिए अभ्यावेदन दे सकता है। अभ्यावेदन का निराकरण भी पूर्व की भांति ही होगा। ऐसी संसूचना तब तक को प्राप्त हो जाए तब वह संबंधित को एक निश्चित समयावधि में संसूचित करेगा।

उक्त आदेश सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मंडल आयोग/अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होंगे।

अतः अब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रति देना अनिवार्य हो गया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 5-1/2003/1/6, दिनांक 20-2-2003]

4. **प्रतिकूल टीका के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण**

(1) तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के मामलों में वह अधिकारी सक्षम है जो अंतिम मत अंकित करने वाले से तत्काल वरिष्ठ है।

(2) द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टीकाओं को विलोपित करने का निर्णय संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायगा।

(3) प्रथम-श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिनका वेतनमान रुपये 3700-5000 या इससे ऊपर है, के विलोपित करने के प्रकरण मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में मुख्यमंत्री के आदेशार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे और शेष प्रकरण अर्थात् रु. 3700-5000 से नीचे वेतनमान में नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित करने के प्रकरण द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के समान निपटारे जायेंगे।

संसूचित प्रतिकूल टीकाओं को विलोपित करने के प्रस्ताव समन्वय में आदेश के लिए भेजते समय प्रकरण को सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) को अंकित किया जाना चाहिए तथा संबंधित अधिकारी की पूर्ण गोपनीय नस्ती एवं स्वमेव स्पष्ट संक्षेपिका विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद नीचे चैक लिस्ट में जानकारी के साथ भेजी जावेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-9/1/95/3/1, दिनांक 22-4-1995]

5. **गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की समयावधि**

गोपनीय चरित्रावली लिखने के लिये स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (सेल्फ असेसमेंट) प्रस्तुत करने एवं विभिन्न स्तरों पर गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की जाती है:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि | 30 अप्रैल |
| 2. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 15 मई |
| 3. समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 31 मई |
| 4. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 15 जून |

प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा कि सभी अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार समय-सीमा में लिखे जाकर उच्च अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। यदि किसी अधिकारी का स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हो, तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी का सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त न होने का उल्लेख करते हुए स्वयं का मतांकन निर्धारित समयावधि में कर दिया जाना चाहिए।

6. **गोपनीय चरित्रावली लिखने की सूचना**

प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी जब गोपनीय चरित्रावली समीक्षक अधिकारी को भेजे तब उसकी सूचना स्वीकारकर्ता अधिकारी को दी जावे, जब समीक्षक अधिकारी स्वीकारकर्ता अधिकारी को गोपनीय चरित्रावली मतांकन हेतु भेजे तब उसकी सूचना प्रतिवेदक अधिकारी को दे। स्वीकारकर्ता अधिकारी जब गोपनीय चरित्रावली कस्टोडियन अधिकारी, जिसके पास गोपनीय चरित्रावली संधारित की जाती है, को भेजे तब उसकी सूचना समीक्षक अधिकारी एवं प्रतिवेदक अधिकारी को एक दूसरे के पत्रों के संदर्भ में दी जाये ताकि प्रत्येक स्तर पर यह रिकार्ड रहे कि गोपनीय चरित्रावली किस स्तर पर कब भेजी गई है। गोपनीय प्रतिवेदन यथासंभव विशेष वाहक से भेजे जायें ताकि उनके गुप्त होने का खतरा न रहे परंतु जहां मुख्यालय से बाहर भेजना है एवं डाक से भेजे जा रहे हों तब रजिस्टर्ड डाक से भेजे जायें।

7. गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा अपने विभाग के किसी एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं संधारित करने के लिये कस्टोडियन अधिकारी के रूप में नामांकित किया जायेगा। कस्टोडियन अधिकारी द्वारा एक चैक रजिस्टर प्रपत्र "एक" में रखा जायेगा जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम दर्ज किये जायेंगे। शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावलियाँ होते ही कस्टोडियन अधिकारी उनका इन्द्राज चैक रजिस्टर में करेंगे तथा गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त का दिनांक संबंधित कालम में अंकित करेंगे जिन शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली प्राप्त का प्रयास कस्टोडियन अधिकारी द्वारा किया जायेगा अर्थात् गोपनीय चरित्रावली संबंधित अधिकारी प्राप्त कर उनको सही रूप से संधारित करने का उत्तरदायित्व कस्टोडियन अधिकारी का होगा।

2. 30 जून तक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त न होने पर कस्टोडियन अधिकारी संबंधित अधिकारी को गोपनीय चरित्रावली भेजने के लिये लिखेगा। उक्त पत्र की प्रति उस शासकीय सेवक को भेजी जायेगी जिसकी गोपनीय चरित्रावली लिखी जाना है।

3. चैक रजिस्टर के आधार पर माह जुलाई में विभागाध्यक्ष/सचिव स्तर पर गोपनीय चरित्रावली प्राप्ति की समीक्षा की जावेगी। जिन अधिकारियों ने समय पर गोपनीय चरित्रावली नहीं लिखी, उनके विरुद्ध जवाबदारी निर्धारित की जाकर कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी को लिखा जायेगा। इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 12-7-96 में उल्लेखित एवं संशोधित संलग्न प्रपत्र-एक (अ) में विवरण एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना 31 जुलाई तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जावेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जाकर माह सितम्बर अंत तक पूर्ण रूप से मुख्य सचिव के अवलोकन हेतु भेजी जायेगी।

8. प्रतिकूल टीका के संबंध में कार्यवाही

प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण हेतु सामान्य पुस्तक संयोजक विभाग 1-7 एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-12/82/काप्रसु, दिनांक 25 मई, 1982 एवं एफ- 5-5/90/49/9, दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में निर्देश दिये गये हैं। प्रतिकूल टीप के संबंध में निर्णय लेने एवं निर्णय के अनुसार समय पर कार्यवाही करने के लिये उक्त परिपत्रों के अनुक्रमित निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं :-

1. जब सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिकूल टीप विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है तो विलोपित टीप को काटकर अथवा कागज चिपकाकर मिटा दी जानी चाहिए एवं निर्णय आदेश से विलोपन किया गया हो उस आदेश का क्रमांक एवं दिनांक वहां दर्ज कर दिया जाये। जब सक्षम अधिकारी द्वारा पूरी प्रतिकूल टीप विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है तब गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टीपकर्ता द्वारा अंकित श्रेणी भी विलोपित कर दी जाये।

2. प्रतिकूल टीकायें समय पर संसूचित की गई हैं अथवा नहीं यह जानकारी कस्टोडियन अधिकारी द्वारा चैक रजिस्टर में प्रपत्र दो में रखी जावेगी। सामान्यतः जनवरी अंत तक विपरीत टीकाओं के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर ली जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग 31 फरवरी अंत तक इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र दो "अ" में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जावेगी। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी समीक्षा कर यथोचित कार्यवाही करेगा।

9. अधिकारियों के लिये लक्ष्य निर्धारण

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों

के लिये लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारण का कार्य माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कर लिया जायेगा। यदि किसी अधिकारी की पदस्थापना बीच सत्र में हो तो उस अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। जिन विभागों में लक्ष्य निर्धारित करना संभव न हो तो उन विभागों में सेल्फ असेसमेंट के समय अधिकारी को वर्ष में जो कार्य सौंपा गया एवं जो कार्य उसने किया उसका संक्षिप्त विवरण गोपनीय चरित्रावली प्रपत्र के निर्धारित कालम में दर्ज किया जायेगा। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 5-4/98/9/एक, दिनांक 13-1-1999]

प्रपत्र-एक

संवर्गीय सेवा के गोपनीय प्रतिवेदनों के रख-रखाव का रजिस्टर

अ. क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)

गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने का दिनांक					गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त करने के प्रयासों का संक्षिप्त विवरण	रिमार्क
97-98	98-99	99-2000	2000-01	01-02		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

गोपनीय प्रतिवेदन वर्षान्त. की जानकारी हेतु प्रपत्र एक (अ)

विभाग का नाम

क्र.	संवर्ग का नाम	संवर्ग में अधि/कर्म. की संख्या	कितने गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त	कितने गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

किस स्तर से कितने गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की कार्यवाही नहीं की गई			अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन समय पर न लिखे जाने के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी
प्रतिवेदक अधिकारी	पुनरीक्षक अधिकारी	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	
(6)	(7)	(8)	

प्रपत्र-दो

गोपनीय प्रतिवेदन की विपरीत टीकाओं का चेक रजिस्टर वर्ष.....
संवर्ग वार

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने की दिनांक	प्रतिकूल टीका संसूचित करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रतिकूल टीका के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त का दिनांक	टीपकर्ता अधिकारी को अभ्यावेदन भेजने का दिनांक	टीपकर्ता अधिकारी का मत प्राप्त होने का दिनांक	अभ्यावेदन के निराकरण एवं उसका दिनांक	रिमार्क
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका की समीक्षा हेतु प्रपत्र दो- "अ" वर्ष.....
विभाग का नाम.....

क्रमांक	अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों की श्रेणी/ संवर्ग का नाम	संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	प्राप्त कुल गोपनीय प्रतिवेदनों की संख्या	कितने गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टीकायें अंकित मिलीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कितनी प्रतिकूल टीकायें समय पर संसूचित की गईं	कितनी प्रतिकूल टीकायें समय पर संबंधित को सूचित नहीं की गईं	प्रतिकूल टीका संसूचित न किये जाने का कारण	संसूचित टीकाओं में कितनों का निराकरण हुआ है	कितने प्रकरण अभी लंबित हैं	रिमार्क
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

10. संभागायुक्त का पद समाप्त होने के फलस्वरूप आयुक्त को प्रदत्त अधिकार अथवा अधिकारी को दिये जाने के संबंध में

संदर्भ- इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक

आयुक्त/कमिश्नर का पद समाप्त होने के कारण समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 5-7-2005 द्वारा गोपनीय चरित्रावली में मतांकन हेतु आयुक्त/कमिश्नर के स्थान पर विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव को अधिकृत किया गया है। कतिपय विभाग द्वारा शासन से अभिमत मांगा गया है कि-

1. किसी विभाग में सचिव एवं प्रमुख सचिव दोनों ही पदस्थ होने की दशा में क्या दोनों ही अधिकारियों द्वारा टीप अंकित जी जाएगी?
2. किसी विभाग में प्रमुख सचिव पदस्थ नहीं होने के दशा में क्या विभागीय सचिव टीप अंकित करने हेतु अधिकृत हैं?
3. विभाग में विभागीय सचिव तथा प्रमुख सचिव दोनों अधिकारी पदस्थ नहीं होने की दशा में क्या विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) टीप अंकित करने हेतु अधिकृत हैं?

2. इस संबंध में शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव दोनों ही अधिकारी पदस्थ होंगे, तो दोनों ही अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन करेंगे। शेष के संबंध में प्रकरण विशेष की परिस्थितियों के अनुसार मार्गदर्शन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण प्राप्त होने पर ही उचित मार्गदर्शन दिया जा सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 9-2/2003/1-6, दिनांक 13-1-2006]

24/03/23

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
(फोन नं.- 0771-2636413, फैक्स नं. - 0771-2263412)
(www.highereducation.cg.gov.in, email Id- che-higheredu.cg@gov.in)

पत्र क्र. 590/190/आउशि/गो.प्र./2022

अटल नगर, दिनांक 24/03/2022

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.

विषय :- 31 मार्च वर्ष 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि क्षेत्रीय अपर संचालक को अधिकार प्रत्योजित के निर्देशानुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत स्नातक प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीडाअधिकारी एवं रजिस्ट्रार की 31 मार्च वर्ष 2023 को समाप्त होने वाली गोपनीय चरित्रवली में प्राचार्य का मतांकन उपराल संबंधित महाविद्यालयों के क्षेत्रीय अपर संचालक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा स्नातकोत्तर प्राचार्य अपना गोपनीय चरित्रवली निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

गोपनीय चरित्रवली, कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) प्रपत्र एवं चल-अचल संपत्ति (31 मार्च वर्ष 2023 की स्थिति में) का ब्यौरा अनिवार्य रूप से अलग-अलग बंध में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रायः देखा गया है कि प्रपत्र में सभी कालमों की पूर्ति नहीं की जाती है, विषय एवं महाविद्यालय का नाम उल्लेख नहीं करते हैं, जिसके कारण गोपनीय चरित्रवली संधारित करने में अत्यधिक असुविधा होती है। अतः विषय एवं महाविद्यालय का नाम उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24/03/2023

पृ. क्र. 591 /190/आउशि/गो.प्र./2023

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग महाविद्यालय से प्राप्त गोपनीय चरित्रवली में मतांकन उपराल अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



Seen

01/0
24/03/2023

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

EMAIL- govtnaveencollege@gmail.com Website- http://govtmmcollegekhadgawan.in/#/home College-3706

क्रमांक/17 /स्था./गो.प्र./2023

खड़गवां. दिनांक 25/04/2023

प्रति,

अपर संचालक
उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

विषय:- 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु प्रभारी प्राचार्य के गोपनीय प्रतिवेदन का प्रेषण।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार महाविद्यालय में कार्यरत प्रभारी प्राचार्य- डॉ. अजय कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान का 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अवधि की गोपनीय चरित्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

- संलग्न:- 1. प्रभारी प्राचार्य की गोपनीय चरित्रावली, पी.बी.ए.एस. प्रपत्र, अचल संपत्ति का व्यौरा, लोक सेवक के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं अकादमिक कार्यों का विश्लेषण।
2. गोपनीय प्रतिवेदन भेज दिए जाने का प्रमाण-पत्र।



[Signature]
25/04/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

प्रपत्र (प्रभारी प्राचार्य)

क्र.	प्रभारी प्राचार्य का नाम	पदनाम	गोपनीय प्रतिवेदन संलग्न है अथवा नहीं	रिर्माक
1	डॉ. अजय कुमार सोनी	सहायक प्राध्यापक- राजनीति विज्ञान	संलग्न है।	प्रभारी प्राचार्य

टीप:- प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 31/03/2023 की स्थिति में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का गोपनीय चरित्रावली शेष नहीं है।

A. K. S.
25/04/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

EMAIL- govtnaveencollege@gmail.com Website- http://govtmmcollegekhadgawan.in/#/home College-3706

क्रमांक / 16 / स्था. / गो.प्र. / 2023

खड़गवां. दिनांक 25/04/2023

प्रति,

अपर संचालक
उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

विषय:- 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का प्रेषण।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार महाविद्यालय में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों के 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अवधि की गोपनीय चरित्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

- संलग्न:- 1. समस्त राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली, पी.बी.ए.एस. प्रपत्र, अचल संपत्ति का व्यौरा, लोक सेवक के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं अकादमिक कार्यों का विश्लेषण।
2. गोपनीय प्रतिवेदन भेज दिए जाने का प्रमाण-पत्र।

o/c



(Signature)
25/04/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

राजपत्रित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	गोपनीय प्रतिवेदन संलग्न है अथवा नहीं	रिर्माक
1	श्री शत्रुघन सोनवानी	सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य	संलग्न है।	

टीप:- प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 31/03/2023 की स्थिति में महाविद्यालय में कोई भी राजपत्रित अधिकारी का गोपनीय चरित्रावली शेष नहीं है।

(Handwritten Signature)
25/04/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

EMAIL- govtnaveencollege@gmail.com Website- http://govtmmcollegekhadgawan.in/#/home College-3706

क्रमांक / 15 / स्था. / गो.प्र. / 2023

खड़गवां. दिनांक 25/04/2023

प्रति,

अपर संचालक
उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)


विषय:- 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का प्रेषण।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये महाविद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के समस्त कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सादर प्रेषित है।

- संलग्न:- 1. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति।
2. कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन की सूची।
③ श्रमण सम्पत्ति का विवरण।

o/c



Ajay
25/04/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	गोपनीय प्रतिवेदन संलग्न है अथवा नहीं	रिर्माक
1	श्री रितेश कुमार गुप्ता	सहायक ग्रेड-02	संलग्न है।	
2	श्री युवराज सिंह	सहायक ग्रेड-03	संलग्न है।	
3	श्री अक्षतानंद पाण्डेय	प्रयोगशाला तकनीशियन	संलग्न है।	
4	श्री जनेश कुमार	प्रयोगशाला तकनीशियन	संलग्न है।	
5	श्रीमती मोनिका गौर	प्रयोगशाला तकनीशियन	संलग्न है।	

टीप:- प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 31/03/2023 की स्थिति में महाविद्यालय में किसी कर्मचारी का गोपनीय चरित्रावली शेष नहीं है।

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

र्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

EMAIL- govtnaveencollege@gmail.com Website- http://govtmmcollegekhadgawan.in/#/home College-3706

क्रमांक / 14 / स्था. / गो.प्र. / 2023

खड़गवां. दिनांक. 25/04/2023

प्रति,

अपर संचालक
उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)


विषय:- 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु चतुर्थ कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का प्रेषण।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- 1. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति।

2. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की सूची। अक्षय संपत्ती का ब्यौरा।



(डॉ. अजय कुमार सोनी)

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	गोपनीय प्रतिवेदन संलग्न है अथवा नहीं	रिमार्क
1	श्री तुलसी राम	भृत्य	संलग्न है।	

टीप:- प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 31/03/2023 की स्थिति में महाविद्यालय में किसी कर्मचारी का गोपनीय चरित्रावली शेष नहीं है।


25/04/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)
प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर

गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

भाग-एक

नियुक्ति का विषय : राजनीति विज्ञान

प्रतिवेदित अधिकारी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा भरा जाए

1. पूरा नाम डॉ. अजय कुमार सोनी
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें)
2. पिता का नाम श्री विश्वेश्वर नाथ सोनी
3. जन्मतिथि 04-07-1977 (चार जुलाई 2001 डॉ. सनहर)
4. शैक्षणिक अर्हता एवं वर्ष
स्नातक बी.ए. - 1999 एम.फिल राजनीति विज्ञान - 2002
स्नातकोत्तर एम.ए. - 2001 पीएच.डी पी.एच.डी. (17/12/2016)
5. वेतन व वेतनमान
वेतन 77500.+- D.A. वेतनमान 77500.+- D.A.
6. महाविद्यालयीन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
(अ) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक : सहायक प्राध्यापक, नियमित, दिनांक 26/11/2012
(द्व. ग. लोक सेवा आयोग से नियमित)
(ब) नियमित नियुक्ति का दिनांक : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति, दिनांक 26/11/2012
(स) वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक : सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, नियुक्ति दिनांक 26/11/2012
7. वर्ष में किस-किस संस्था में पदस्थ रहे, अवधि का भी उल्लेख करें :
(यदि एक से अधिक संस्था में कार्य किया हो तो प्रत्येक संस्था की कार्य अवधि के लिए पृथक फार्म भरा जाये)
(i) शासकीय मां. महामाया महाविद्यालय, खडगावां, जिला - मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी
-भरतपुर (द्व. ग.) में दिनांक 26/11/2012 से निरन्तर कार्यरत
(ii) _____
(iii) _____

8. प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा समीक्षा अवधि में किये गए कार्य की जानकारी :

क्र.	पढ़ाई गई कक्षा का स्तर	सेक्शन की संख्या	कुल छात्र संख्या	वर्ष के दौरान लिए गए पीरियड्स (कालखंड) की संख्या	व्याख्यान	प्रायोगिक	टिपोग्रियल	विशेष कोचिंग
1.	स्नातक B.A. - I	01	130	24 व्याख्यान } उत्ति के सहाय } नियमानुसार	U.G.C. के नियमानुसार		कमजोर विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।	
	B.A. - II	01	88					
2.	स्नातकोत्तर B.A. - III	01	61					

9. क्या उपस्थिति पंजी नियमित भरी गई

हाँ

10. क्या उपस्थिति पंजी प्राचार्य को सौंपी गई

हाँ

11. वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गए शोध कार्य का विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तरों में शोध पत्र प्रस्तुत

12. प्रकाशित कार्य का विवरण

निरंक

13. कितने छात्रों को शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किये

(अ) एम.फिल. के कितने छात्रों को

NIL

(ब) पीएच.डी. के कितने छात्रों को

NIL

14. कितने कमजोर छात्रों को विशेष कोचिंग दी

41 विद्यार्थियों को

15. वर्ष में कितनी नई पुस्तकों का अध्ययन किया (पुस्तकों का नाम व लेखकों का नाम लिखें)

16. वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश की प्रकृति एवं दिवस आकाशमिक अवकाश - 02, वैदिक अवकाश - निरंक

17. शैक्षणिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(अ) एन.सी.सी.

NIL

(ब) एन.एस.एस.

कार्यक्रम अधिकारी के रूप में N.S.S. गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता

(स) परीक्षा संचालन

वार्षिक परीक्षा में समन्वयक/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष

(महाविद्यालयीन परीक्षा संचालन में क्या कार्य किया कार्य की प्रकृति एवं कितने दिन इस कार्य का संचालन किया)

के रूप में वार्षिक परीक्षा संचालन का कार्य किया

(द) महाविद्यालय प्रशासन के लिए किये गए कार्य (जैसे अनुशासन, जाँच कार्य, छात्र संघ आदि)

प्रभारी प्रशासक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए महाविद्यालय के समस्त क्रिया कलापों में सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन किया गया। महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद उत्तियोगिता आयोजित की गई, विविध लेमिनारों में सहभागिता रही है।

(इ) अन्य कार्य (जैसे- खेल संबंधी, सेमीनार आदि)

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक 25/04/2023

डा. अजय कुमार लोना, प्रधानाचार्य / सहदेक प्राध्यापक - राजनाथ कला
शांसीय में महामाया महाविद्यालय, खडगवा, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

भाग - दो
(प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति)

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भाग-1 में दिये स्वमूल्यांकन पर टीप.

1. क्या प्रतिवेदक अधिकारी के स्वमूल्यांकन में उल्लेखित किसी विन्दु से आप असहमत हैं? यदि हाँ तो विवरण दें

2. महाविद्यालय उत्तरदायित्वों को समय पर पूर्ण करने में रुचि

3. क्या इन्होंने आर्वांरित कोर्स पूर्ण किया

4. छात्रों के लिये प्रयास

(अ) देदिप्यमान छात्रों के लिये क्या प्रयास किये

(ब) कमजोर छात्रों के लिये क्या प्रयास किये

5. उपरोक्त के क्या परिणाम रहे

6. प्राचार्य द्वारा सौपे गये कार्यों में क्या तत्परता रही

7. निष्ठा

8. प्रतिवेदक अधि. का समग्र मूल्यांकन

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया)

टीप उत्कृष्ट या घटिया वर्गीकरण करने पर इसका औचित्य भी स्पष्टतः अंकित करें

दिनांक

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

भाग - तीन

(समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति)

क्या आप प्रतिवेदक अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत हैं

यदि नहीं, तो कारणों सहित अपना अभिमत दें

दिनांक

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

भाग - चार

(स्वीकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति)

दिनांक

स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी०बी०ए०एस०) हेतु
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष 2022-23

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम	डॉ. अजय कुमार खोनी	पदनाम
सहायक प्राध्यापक (प्रभावी प्राचार्य)	विषय रात्रनीति विज्ञान	कर्मचारी कोड नं.
	01380060002	
महाविद्यालय शासकीय	माँ महामाया	महाविद्यालय खड़गावां
जिला- मनेन्द्रगढ़	चिरमिरी	भरतपुर (छ.ग.)

(भाग-क सामान्य सूचना)

1. नाम (बड़े अक्षरों में) : Dr. AJAY KUMAR SONI डॉ. अजय कुमार सोनी
2. पिता/पति का नाम : Shri BISHAMBHAR NATH SONI श्री विशम्भर नाथ सोनी
3. विभाग : उच्च शिक्षा विभाग (राजनीति विज्ञान)
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धान्त, लोक उशासक
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
 - i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक सहायक प्राध्यापक नियुक्ति दिनांक 26/11/2011
 - ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति दिनांक 26/11/2012
 - iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, दिनांक 26/11/2012
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड : सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) : प्रचार्य, शां. मं. महाभागा महाविद्यालय, अडवां,
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित) : जिला-मुनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (झ.ग.) पिन 497450
 गा. + पो. - पटना, तहसील - बेंकुणपुर, जिला- कोरिया (झ.)
 फोन नं. : 8435674651 पिन 497331
- ई मेल : ajaykumarsoni892@gmail.com
10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है : NIL
11. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसे वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम /	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण
ग्रीष्मकालीन स्कूल			
/		NIL	
			/

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

आकस्मिक अवकाश — 02

रैडिक अवकाश — निरंक

भाग-ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएफ़्स) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख ले)

वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम/ प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आबंटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं/ प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत
01	बी.ए. उच्चम	स्नातक	हिन्दी	06+02	100%
02	बी.ए. द्वितीय	स्नातक	हिन्दी	06+02	100%
03	बी.ए. अंतिम	स्नातक	हिन्दी	06+02	100%
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

* व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रायोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

	API अंक
(क) ली गई कक्षाएँ (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	50
(ख) यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	10

(ii) पाठन/परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
01	बी.ए. उच्चम वर्ष	राजनीतिक विज्ञान राज्य शासन एवं राजनीति	पाठ्यक्रमानुसार	पी.पी.टी. मॉडल नोट्स
02	बी.ए. द्वितीय वर्ष	राजनीतिक विज्ञान वृत्त: शासन एवं राजनीति	पाठ्यक्रमानुसार	एडवॉक पी.पी.टी., नक्शा नोट्स, नक्शा, एडवॉक
03	बी.ए. तृतीय वर्ष	अंतरराष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय संबंध, उद्देश्य	पाठ्यक्रमानुसार	एडवॉक, पी.पी.टी., नक्शा
—	—	—	—	—
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान/अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक 20

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण-अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना :

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
01.	बी.ए. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष - पी.डी.एफ., नोट्स, पी.पी.टी.	10
02.	एल्मस, ग्लोब, नोट्स, निम्नलिखित, इन्टरनेट	10
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	20

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
01	समन्वयक/वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष	परीक्षा समन्वयक	100%	10
02	प्रश्नपत्र लेखिका	वार्षिक/परीक्षा निम्नलिखित	100%	10
03	ठंडर पुस्तिका सूर्यांकन	ठंडर पुस्तिका सूर्यांकन	100%	05
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			25

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक 125

न्यूनतम अंको की आवश्यकता - 75

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
01.	सांस्कृतिक गतिविधियां एवं खेल कार्यक्रम	एक घण्टे प्रतिदिन	10
02.	N.S.S./पर्यावरण/स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	एक घण्टे प्रतिदिन	10
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		20
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्था का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
01.	प्रभारी जनार्थ के ज्ञान महाविद्यालय के समस्त गतिविधियों के निष्पादन/निर्देशन/सहभागिता	महाविद्यालयीन कार्य में दायित्व का निर्वाहन	10
02.	I.Q.A.C. समिति	अध्यक्ष की भूमिका	05
	कुल (अधिकतम अंक-15)		15
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियां		

--	--	--	--

	कुल (अधिकतम अंक-15)		25
	कुल (i+ii+iii) (अधिकतम 25 अंक)		

वर्ग II में न्यूनतम आवश्यक अंक - 15

वर्ग : III. शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स में प्रकाशित पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक
				NIL			

(ख) (i) आलेख/अध्याय, पुस्तकों में प्रकाशित

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक, संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक
					NIL		

5

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक
			NIL			

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक
				NIL			

III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i) एवं (ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक
				NIL	

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में-पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक
			NIL			

III. (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान	—	NIL	—	—
पी.एच.डी. या समान	—	NIL	—	—

III. (ङ) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण-अनुशिक्षण-मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक
		NIL		

(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक
01.	गांधीवादी दर्शन और परिवर्तन (संशोधन)	साहित्य और पर्यावरण	राजीव गांधी पी.जी. कॉलेज, अजमेर	अंतर्राष्ट्रीय	10
02.	भारत-राजनीति एवं गांधीवादी दर्शन	भारतीय राजनीति दशक एवं देश	देवविजय महावि. राजनांदगाव	राष्ट्रीय	07.5
03.	गांधीजी और भारत में सा.रा. परिवर्तन	महात्मा गांधी और हमारा समय	शा. साहित्यी महा. चिरमिरी	राष्ट्रीय	07.5

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय है ?	API अंक
			NIL		

(IV) API अंको का सार

	मानदण्ड	गति अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ	125	125	125
II	सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास आदि	25	25	25
	कुल I+II	150	150	150
III	शोध एवं अकादमिक योगदान	—	25	—

भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्योरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्योरा (जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शाये)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नत्थी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. अचल सम्पत्ति का ब्योरा (02 पृष्ठ) 2. लोक सेवा संबंधी जानकारी 3. अकादमिक कार्यों का विश्लेषण 4. महाविद्यालयीन समिति 2022-23 5. I.O.A.C. गठन आदेश 11. दृष्टी जाँच अधिकारी, जिला-कोरिया | <ol style="list-style-type: none"> 6. अन्तर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी उमाण पत्र (P.G. College Ambik) 7. राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी उमाण पत्र (दिग्विजय महाविद्यालय) 8. राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी उमाण पत्र (हाथिली महा विरमिरी) 9. उच्च पत्र लेखिका (उद्दिष्ट एवं परीक्षा नियंत्रक संत गांधी ग्रुप विधिविध आम्बिकापुर) 10. उच्च पत्र लेखिका (श्री नंद कान्त पटेल विधिविध रायगढ़) 12. उत्तर गुजरात मूल्यांकन आदेश 13. समय सारिणी 14. केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति 15. जनपद पंचायत अध्यक्षता समिति 16. नैतिक कार्यशाखा 17. शैक्षणिक सत्यापन समिति 18. उद्देश्य समिति 19. शोध निर्देशक आदेश |
|--|--|

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारीयों महाविद्यालय विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए हैं।

(Signature)
25/04/2023

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर
सहायक आध्यापक (साजनीति विज्ञान) खडगवा, 25-04-2023

विभागाध्यक्ष / महाविद्यालय अध्यक्ष / प्राचार्य के हस्ताक्षर
PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

नोट : कौंस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफार्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी।

भाग-घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष

के स्व-मूल्यांकन पर टीप-

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हाँ तो किन-किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

पदनाम

पदनाम

संयुक्त संचालक
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन
प्रकोष्ठ

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ0ग0)

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत हैं ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

समीक्षक अधिकारी के

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

नाम

पदनाम

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत है ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

.....

.....

समीक्षक अधिकारी के

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

नाम

पदनाम

प्रपत्र

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. अजय कुमार सेनी, सहायक प्राध्यापक, शा. में महामया महाविद्यालय, खडगवां
 2. वर्तमान वेतन अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01-07-2023.....

जिला- मनेरगढ़- चिरमिरी- भरतपुर (छ.गठ)

क्र०	उस जिले उप संभाग, तह. तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर आधारित और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तरीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	जिला- कौरिया संभाग- सरगुजा तहसील- बैकुण्ठपुर ग्राम- पटना	2370 " वर्गफीट जमीन जिसमें 750" वर्गफीट में पक्की मकान बनी हुई है।	2700000=00	स्वयं के नाम पर है।	पिता श्री विशुभर नाथ सेनी से दिनांक 05/03/2009 को विरासत में प्राप्त हुआ है।	निरंक	
02	जिला- कौरिया संभाग- सरगुजा तहसील- बैकुण्ठपुर ग्राम- तलवापारा	रकबा 0.032 हेक्टेयर अर्थात् 324.20 वर्गमीटर अर्थात् 3492 वर्गफीट आवासीय भूखण्ड है।	1800000=00	स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री है।	आवासीय प्रयोजन हेतु ख़रीद किया गया है। भूखण्ड रजिस्ट्री का दिनांक 02/02/2018 है।	निरंक	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
 टिप्पणी - छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और बाद में प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

स्थान- खडगवां

Dr. Ajay Kumar Senani



शासकीय सेवक के हस्ताक्षर



क्रमशः



लोक सेवक के संबंध में आवश्यक जानकारी



महाविद्यालय का नाम - डी.ए.के.जी. म. मा. महाविद्यालय, खडगवा
 जिला - महाराष्ट्र, चिरमिरी
 सहायक प्राध्यापक का नाम - डॉ. राजनीति विज्ञान
 विषय- राजनीति विज्ञान वर्ष- 2022-23



लोक सेवक के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

- सतत सेवा (सेवा में टूट की जानकारी) हां/नहीं यदि हां तो विवरण

 हस्ताक्षर सहायक प्राध्यापक	नहीं	 हस्ताक्षर PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN DIST. MAHENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)
--	------	---
- न्यायालयीन प्रकरण हां/नहीं यदि हां तो विवरण

 हस्ताक्षर सहायक प्राध्यापक	नहीं	 हस्ताक्षर PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN DIST. MAHENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)
--	------	---
- अपराधिक विवरण हां/नहीं यदि हां तो विवरण

 हस्ताक्षर सहायक प्राध्यापक	नहीं	 हस्ताक्षर PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN DIST. MAHENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)
--	------	---
- विभागीय जांच हां/नहीं यदि हां तो विवरण

 हस्ताक्षर सहायक प्राध्यापक	नहीं	 हस्ताक्षर PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN DIST. MAHENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)
--	------	---

5. महाविद्यालय में प्रस्तुत चल-अचल सम्पत्ति का छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न कर। संलग्न है।

परीक्षा परीणाम विप्लेषण:-

स. क्र.	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या					किया गया प्रयास	प्रयास का परीणाम
		प्रवेशित	परीक्षा में सम्मिलित	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण का प्रतिशत		
01	बी.ए. उच्चम	90	87	87	NIL	NIL		
02	बी.ए. द्वितीय	59	58	58	NIL	NIL		
03	बी.ए. अंतिम	40	40	40	NIL	NIL		
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	

अकादमिक कार्यों का विश्लेषण

विद्यता शोध के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य किया हो, जो स्वमूल्यांकन, परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रकाशनों की गुणवत्ता, शिक्षा के नवोन्मेष, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य चर्चा आदि की रचना से प्रमाणित हो (आवश्यकतानुसार अलग से शीट जोड़ा जा सकता है। दिये गये विवरण के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न न करें केवल प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित करावें)

1. बी.ए. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों में राजनीति विज्ञान विषय के प्रति लगे पैदा करने हेतु ऑनलाइन/पी.पी.टी./लेक्चर विडियो/नोट्स के माध्यम से जानकारी दी गई।
2. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में जागरूकता लाने हेतु उन्हें अखबारों, न्यूज चैनलों, इंटरनेट, आदि माध्यमों के उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।
3. राजनीति विज्ञान विषय में केंद्र उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं तथा इस विषय के माध्यम से करियर का निर्माण केंद्र कर सकते हैं। इस बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया।
4. अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा है। उनके कौशल विकास व सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
5. विद्यार्थियों में शोध दृष्टि विकसित करने हेतु उन्हें शोध के विविध पहलुओं जैसे - निदर्शन, लॉटरी पद्धति, साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन अनुसूची तथा अनुभविक अध्ययन पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान किया गया।

Amu

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
के पूर्ण हस्ताक्षर

Amu
25/04/2023

प्राचार्य के हस्ताक्षर (टीप सहित)
(सील सहित)

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा (जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नत्थी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो)

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारियों महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए हैं ।

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैंस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी।

भाग-घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का
अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष
के स्व-मूल्यांकन पर टीप-

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हाँ तो किन-किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशसित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

संयुक्त संचालक
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत है ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

.....

.....

समीक्षक अधिकारी के

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

नाम

पदनाम

PBAS प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफार्मा का भाग-ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट-111, तालिका-1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादमिक वर्ष हेतु भरा जायेगा।

प्रोफार्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक-पृथक क्षेत्रों हेतु प्रदान किए गए या अगसारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है।

स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगे। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच तथा छानबीन-सह-जॉच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

श्रेणी : 1, शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएँ, जॉच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 75 प्रतिशत से कम कक्षाएँ ली है उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, वकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। 100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50	अधिकतम अंक : 50
--	-----------------

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएँ ली है, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक : 10
---	-----------------

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य-विवरण के अनुसार पाठ्य-पुस्तक /नियमावली आदि, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्चा संवर्धन (100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)	अधिकतम अंक : 20
---	-----------------

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण-अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण/अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूलस : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक/ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉड्यूलस (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण – अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय: संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण/वैब आधारित शिक्षण तथा ई-पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक
कालेज/विश्वविद्यालय तथा सत्रीय/वार्षिक कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य-10 अंक, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन-5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना- 5अंक) (100 % अनुपालन = 20 अंक)	20
कालेज/विश्वविद्यालय परीक्षा/मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक/निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन = 10अंक)	10
समन्वयन जैसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन = 10अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

श्रेणी : II सह-पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन/शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद/नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों/विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप-प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, बर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन/प्रशिक्षण अंतरराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय/ प्रादेशिक (5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक/कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर	10
क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक	
ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	

शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहभागिता (प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 5 अंक)	10
शिक्षा पर राज्य/केन्द्रीय निकायों/समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन : रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंको को, तालिका-1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बॉट दिया जाएगा।

III एपीआई अंको का सारांश

वर्ग एव के लिए एपीआई प्राप्तांको को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010-11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011-12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आकलन किया जाएगा। परंतु जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांको को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

IV

इसी प्रकार पीबीएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप-निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका- IV से IX में रेखांकित किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित हैं, इन संवर्गों द्वारा विकसित किया जायेगा।

CR Profarma for class- 3

तृतीय श्रेणी एवं अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने का प्रपत्र 31 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ।

1. पूरा नाम श्री/श्रीमती/कुमारी
2. जन्म तिथि
3. धारित पदनाम (मूल/स्थानापन्न/अस्थायी)
4. वरिष्ठता सूची क्रमांक
5. प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक
6. वर्तमान पद पर पदोन्नति दिनांक (यदि हो तो)
7. वेतन
8. कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण
9. व्यक्तित्व एवं व्यवहार
10. आचरण/चरित्र
11. प्रारूप और टीप लिखने की योग्यता
12. कार्यालय प्रक्रिया और नियमों का ज्ञान तथा प्रयास करने की योग्यता
13. प्रकरण के परीक्षण की क्षमता
14. कार्य के निपटारे की तत्परता
15. उपस्थिति की नियमितता और समय की पाबंदी
16. उच्च अधिकारियों एवं सहभागियों से संबंध
17. नित्य कार्य जैसे-असिस्टेंट की डायरी का रख-रखाव, गार्ड फाइलें, रिकार्डिंग आदि का ध्यान रखा जाना
18. सनिष्ठा
19. कर्मचारी द्वारा यदि कोई असाधारण या उल्लेखनीय कार्य किया गया हो तो वह संक्षेप में बतावें।
20. पदोन्नति की उपयुक्तता
21. श्रेणीकरण (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/ साधारण/घटिया)

उत्कृष्ट श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जाय जबकि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर देखा गया हो । ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधार भी स्पष्ट रूप से बताया जावे ।

स्थान

दिनांक

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....

पदनाम

CR Profarma for class- 3

//2//

समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पदनाम

.....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पदनाम

.....

आवश्यक निर्देश-

लिपिक के विशेष कार्य/उपलब्धि का
उल्लेख सामान्य टीप में किया जावे।

CR Profarma for class- 3

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष दिसम्बर, की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद, शासकीय महाविद्यालय का नाम.....
3. वर्तमान वेतन अगली वेतन वृद्धि का तारीख

क.	उस जिले उप समाज, तह. तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थिता हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाइये कि वह किसके नाम पर आधारित और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

CR Profarma for class- 4

शासकीय महाविद्यालय

प्रपत्र- दो

चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के संबंध में प्रति वर्ष माह- अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिखी जाने वाली चरित्र पंजी का फार्म 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

01. कर्मचारी का नाम, पिता अथवा पति का नाम :
- निवास/ स्थान और :
- :
02. जन्म तिथि :
03. शैक्षणिक योग्यता , यदि कोई हो :
04. वरिष्ठता सूची में क्रमांक :
05. वेतन :
06. पद का नाम स्थायी/ अस्थायी :
07. नियमित नियुक्ति की तिथि :
08. कार्य का स्थान :
09. अवधि जिसके लिए मत अंकित किया जा रहा है :.....
10. आचरण/ व्यवहार तथा आज्ञाकारिता :.....
11. समय की पाबंदी :.....
12. शारीरिक क्षमता :.....
13. सौंपे गये कार्य को करने की क्षमता और योग्यता:.....
- :.....
- :.....

क्रमश- 2....

CR Profarma for class- 4

—2—

14. स्थानांतरण, दण्ड आदि के संबंध में सामान्य मत:.....
:.....
:.....

15. श्रेणीकरण
उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा /
साधारण / घटिया

उत्कृष्ट श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जाये जबकि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर देखा गया हो। ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधार भी स्पष्ट रूप से बताया जावे।

स्थान :

दिनांक :-

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

.....
.....
.....

समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

.....
.....
.....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम